रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/93

REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17, 1993 (चैत्र 27, 1915)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17, 1993 (CHAITRA 27, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisments and Notices issued by Statutory Bodies]

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय

पुणे–411005, दिनांक 12 मार्च 1993

सं० ए० एक्स०–1/एस० टी०/ओ० एम० आर०/2775/93—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : (1) इन विनियमों का नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधित) विनियम 1993 होगा (2) ये संशोधन विनियम 28 जनवरी, 1993 को और उस तिथि से लागू होंगे ।

2. संशोधन का ब्यौरा अनलग्नक 'अ' में दिया गया है ।

प्र० अ० चितले,
उप महाप्रबन्धक,
(कार्मिक)

अनुबन्ध–1

वर्तमान	संशोधित
विनियम–(20) (1) विनियम के उप–विनियम (3) के अध्यधीन बैंक, किसी भी अधिकारी की सेवाओं को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन महीने की परिलब्धियां देकर समाप्त कर सकता है।	विनियम 20 (1) (क) विनियम 16 के उप विनियम 3 के अध्यधीन, जहां बैंक आशवस्त हो कि किसी अधिकारी का कार्य असंतोषप्रद या अपर्याप्त है या जहां उसकी विश्वसनीयता के बारे में प्रामाणिक (बोनाफाइड) सन्देह हो या यदि बैंक की सेवा में उसे बनाए रखना बैंक के हितों के प्रतिकूल हो, और जहां अनुशासनिक कार्यविधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना सम्भव या ईष्टकर (एक्स–पीडिएंट) न हो तो बैंक सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार उसकी सेवाओं को तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में परिलब्धियां देकर समाप्त कर सकता है । (ख) इस उप विनियम के अन्तर्गत सेवा–समाप्ति का आदेश तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि ऐसे अधिकारी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध बैंक को अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न देदिया गया हो । (ग) उपर्युक्त उप–विनियम (क) के अन्तर्गत अधिकारी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय केवल अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाएगा । (घ) अधिकारी कर्मचारी बैंक के निदेशक-बोर्ड को 15 दिनों के भीतर अपील करते हुए उपर्युक्त उप विनियम (क) के अन्तर्गत जारी किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार होगा । यदि अपील स्वीकार की जाती है तो उप विनियम (क) के अन्तर्गत जारी आदेश रद्द हो जाएगा । (ङ) जहां किसी अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हों और जिसे नोटिस के एवज में तीन महीनों की परिलब्धियों की रकम अदा की जा चुकी हो और अपील करने पर जिसकी सेवा समाप्ति को रद्द कर दिया गया हो वहां उसे नोटिस के एवज में अदा की गई रकम का समायोजन उसे सेवाएं समाप्त न किए जाने की स्थिति में प्राप्त होने वाली आय से किया जाएगा और उसे बैंक की सेवा में उन्हीं शर्तों पर इस प्रकार जारी रखा जाएगा मानो सेवा समाप्ति का आदेश जारी ही न किया गया हो। (च) उक्त विनियम (क) के अन्तर्गत जिस अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जाएंगी उन्हें उपदान, नियोक्ता के अंशदान सहित भविष्य निधि तथा उन्हें अनुमेय अन्य सभी देय रकमें नियमानुसार अदा की जाएंगी चाहे उनके द्वारा कितने भी वर्षों की सेवा पूरी की गई हो। (छ) उपर्युक्त किसी भी बात से विनियम 19(1) के अन्तर्गत किसी अधिकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्त करने के बैंक के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे ।

वर्तमान	संशोधित
विनियम 20 (2)—कोई भी अधिकारी, बैंक से अपनी सेवा छोड़ने या समाप्त करने या त्याग-पत्र देने के अपने इरादे के बारे में लिखित रूप में नोटिस दिए बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा। अपेक्षित नोटिस की अवधि तीन महीने की होगी और नोटिस इन विनियमों में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।	विनियम–20 (2)—कोई भी अधिकारी, बैं से अपनी सेवा छोड़ने या समाप्त करने या त्यागपत्र देने के अपने इरादे के बारे में लिखित रूप में नोटिस दिए बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा। अपेक्षित नोटिस की अवधि तीन महीने की होगी और नोटिस इन विनियमों में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
परन्तु सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि को घटा सकता है अथवा नोटिस दिए जाने की अपेक्षा से छूट दे सकता है।	परन्तु सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि को घटा सकता है अथवा नोटिस दिए जाने की अपेक्षा से छूट दे सकता है।
विनियम–20(3) (क) – उप-विनियम (2) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो तो वह लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना बैंक से अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा/न समाप्त करेगा और न ही त्याग-पत्र देगा और इस प्रकार अनुशासनिक कार्यवाही के पहले या उसके दौरान उसके द्वारा दिया गया त्याग-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता।	विनियम–20 (3) (1) – यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो तो वह लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना बैंक से अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा/न समाप्त करेगा और न ही त्याग-पत्र देगा और इस प्रकार अनुशासनिक कार्यवाही के पहले या उसके दौरान उसके द्वारा दिया गया त्याग-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता।
(ख) इस विनियम के प्रयोजन हेतु किसी भी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उस अवस्था में लंबित मानी जाएगी यदि उसे निलंबित कर दिया गया हो अथवा उसे "कारण बताओ" नोटिस देकर उससे यह बताने के लिए कहा हो कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्यों न की जाए अथवा यदि उसके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र जारी किया गया हो और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक इस अनुशासनिक कार्यवाही को लंबित माना जाएगा।	(2) इस विनियम के प्रयोजन हेतु किसी भी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उस अवस्था में लंबित मानी जाएगी यदि उसे निलंबित कर दिया गया हो अथवा उसे "कारण बताओ" नोटिस देकर उससे यह बताने के लिए कहा गया हो कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्यों न की जाए और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक इस अनुशासनिक कार्यवाही को लंबित माना जाएगा।
(ग) यदि कोई अधिकारी अवचार के आरोप में निलंबित है तो उसे अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख को न तो सेवा-निवृत्ति किया जाएगा और न ही सेवा-निवृत्त होने दिया जाएगा, बल्कि आरोप संबंधी जांच पूरी होने और अंतिम आदेश पारित किए जाने तक उसे सेवा में बनाए रखा जाएगा।	(3) जिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई हो उसकी सेवा को अधिवार्षिकी के दिनांक से समाप्त माना जाएगा किंतु अनुशासनिक कार्यवाही इस प्रकार जारी रहेगी मानो कार्यवाही समाप्त होने तथा उसके संबंध में अंतिम आदेश पारित किये जाने तक वह सेवा में ही हो। संबंधित अधिकारी को अधिवार्षिकी के दिनांक के बाद कोई वेतन और या भत्ता नहीं मिलेगा। जब तक कि कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती और उस संबंध में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिये जाते वह अनिवार्य भविष्य निधि में स्वत: के अंशदान को छोड़कर सेवा निवृत्ति के लाभों का भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा।

अनुबंध–2

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के दि० 10 अप्रैल, 1992 के पत्र क्र० एफ० 4/10/1/89–आई०आर० द्वारा अधिकारी सेवा विनियमावली 1979/1982 के विनियम 20 (1) (क) के अनुसार सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश

किसी अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जाएगा जहां :—

1. किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अधिकारी कर्मचारी की हैसियत से लिये गये निर्णय के कारण बैंक को वित्तीय हानि हुई हो हालांकि उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अवचार सिद्ध न किया जा सके ।

2. अधिकारी कर्मचारी स्वत: को देय सभी छुट्टियों को समाप्त करने के बाद या लिखित रूप में छुट्टी बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर देने के बाद किन्हीं भी कारणों से लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक में अपने कार्य पर अनुपस्थित रहा हो ।

3. किसी विशिष्ट विशेषज्ञता या कौशल या अर्हता के आधार पर नियुक्त किसी अधिकारी कर्मचारी की ऐसी विशेषज्ञता या कौशल या अर्हता किसी भी कारण से समाप्त हो चुकी हो ।

4. अधिकारी कर्मचारी को अपने कार्य के वार्षिक मूल्यांकन में लगातार तीन वर्षों तक औसत से कम का योग्यता क्रम प्राप्त हुआ हो और पहले दो वर्षों की मूल्यांकन रिपोर्टों से उसे अवगत कराए जाने के बावजूद उसके कार्य में कोई सुधार या पर्याप्त सुधार न हुआ हो ।

5. ऐसी स्थिति हो कि हिंसा, विद्रोह या सामान्य अनुशासनहीनता, अवज्ञा के कारण अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच बिठाना संभव न हो ।

6. अवचार सिद्ध करने हेतु जिन सबूतों का आधार लिया जाना हो वे नष्ट हो चुके हों या ऐसे कारणों से, जो प्रबंधन के वश में न हों, मुख्य साक्षी उपलब्ध न हो/हों ।

7. ऐसे अन्य कारण हों जिनसे तर्कसम्मत रूप में बैंक यह विश्वास करने हेतु प्रेरित हो कि अधिकारी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना बैंक के हितों के प्रतिकूल होगा ।

दिनांक 23 मार्च 1993

सं० ए०एक्स० 1/एस०टी०3847/93—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1970 का 5 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक आफ महाराष्ट्र का निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) इन विनियमों को बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1993 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 में

(क) विनियम 5 के उप विनियम (2) के परंतुक में "सक्षम प्राधिकारी को" शब्दों के बाद "नियोजन का प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर" शब्द जोड़े जाएंगे,

(ख) विनियम 14, उप विनियम (1) के स्पष्टीकरण में टिप्पणी (2) को निकाल दिया जायेगा ।

(ग) विनियम 20 के उप विनियम (2) के स्थान पर पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(2) प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी प्रति वर्ष उस वर्ष के जून के 30वें दिन से पहले उस वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार शेयरों, डिबेंचरों जैसी तरल परिसम्पतियों सहित अपनी चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति की एक विवरणी बैंक को प्रस्तुत करेगा" ।

प्र० अ० चितले
उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)

पाद टिप्पणी: पहले से संशोधनों की संख्या और तारीख (तारीखें) तथा उनके भारत के राजपत्र में छपने की तारीख को क्रमानुसार पाद टिप्पणी के रूप में दिया जाएगा ।

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

कलकत्ता–700 071, दिनांक 23 फरवरी 1993

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स)

सं० 3–ई० सी० ए० (4)/4/92–93 —चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	7875	श्री दास रामरतन 10 पाइमर्स मीड क्रोस्टिड रोड़ वेस्ट दुलविक्ट लंदन एस० ई० 21, 8एनक्यू यू० के०	1–10–92
2.	8019	श्री कमलानी अब्दुल करीम पी० ओ० बौक्स 88 शारजाह यू० ए० ई०	1–10–92
3.	8193	श्री बसु अनन्ता कुमार 67, बकिंघम पैलेस रोड़ स्विन ओक्यू लंदन	1–10–92
4.	6711	श्री अहमद कैसर मुरजानी इंटरनेशनल लि० 95, मेहिल स्ट्रीट सैडल ब्रुक एन० जे० 07662–6501	1–10–92
5.	14839	श्री रे तपन कुमार एडमिनिस्ट्रेटिव ओफिसर युनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कं० लि० रीजनल ओफ़िस 38बी चौरिंघी रोड़ कलकत्ता-700 071 ।	1–10–92
6.	52438	श्री सिंह रविन्द्रा प्रताप केयर ओफ मैसर्स लोढ़ा एण्ड कं० 14 गर्वमैन्ट प्लेस ईस्ट कलकत्ता-700 001 ।	1–10–92
7.	55529	श्री भट्टाचार्या प्रविन्ता केयर ओफ मैसर्स प्राइस वाटर- हाऊस एण्ड कं०, बी–3/1, गिलैन्डर हाऊस, नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता: 700 001 ।	1–10–92
8.	55741	श्री सिन्हा देवाशिश, केयर ओफ मैसर्स प्राइस वाटर- हाऊस एण्ड कं०, बी–3/1, गिलैन्डर हाऊस, नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता-700 001 ।	1–10–92

ए० के० मजुमदार
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 1993

सं० एन–15/13/14/8/88-यो० एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम–1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा–46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 फरवरी 1993 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात्

"जिला कमराजार के तालुक विरूधुनगर में राजस्व ग्राम पावली और चतरारेड्डीयापट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

एस० घोष
संयुक्त बीमा आयुक्त

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 मार्च 1993

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/747—जहां मैसर्स इन्डोटैक्स मैन्युफैक्चरर्स प्लाट-332, जी आई डी सी, नजदीक न्यू वाटर टैंक, ओधव, अहमदाबाद-38241 एस (जी जे/16663) ने कर्मचारी भविष्य निधि और

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है),।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है),।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं। (दिनांक 1-3-90 से 28-2-93 तक)।

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/755—जहां मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि., दरवाह रोड, लोहरा, यावतमल-445001 तथा इसकी फैक्टरी, मुख्य कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय सहित (महा./60039) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नागपुर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1-8-92 से 31-7-95 तक) ।

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी के व्ययगत हो जाने दिशा आता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एल. जाई./एक्जाम/89/भाग-1/763—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्षेत्र———————

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	भारत सरकार की अधिसूचना सं० तथा दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान की गई/विस्तार किया	छूट की तिथि	छूट बढ़ाई जाने की तिथि	के०भ०नि० आ० फाईल सं०
1.	मै० इन्सट्रूमैन्शटेन लि० जालावार रोड, कोटा–324005 राजस्थान।	आर जे०/ 1139	एस० 35014/403/82/ पी०एफ० 11 दिनांक 11–12–82	10–12–85	11–12–85से 10–12–88 11–12–88 10–12–91	2-2-76/ डीएबआई
2.	मै० हिन्दुस्तान जिन्क लि० 6, नया फतेहपुर, उदयपुर, राजस्थान।	आर जे० / 1272	2/1959/डी० एल० आई०/ एक्जाम 89/पार्ट I दिनांक 21–12–89	18–3–92	19–3–92से 18–3–95	2/120/78
3.	मै० राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, गुलाबपुरा, 311021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान ।	आर जे० / 1775	एस–35014/24/83/पी० एफ० II दिनांक	4–3–86	5–3–86से 4–3–89 5–3–89से 4–3–92	2/823/82
4.	म० मैटालर्जिंग इकविपमैन्ट कंपनी प्रा० लि०, 5 बीजोपासनी रोड, जोधपुर, 342003, राजस्थान ।	आर जे० / 1794	2/1959/डी० एल० आई०/ एक्जाम/89 / पार्ट–I , दिनांक 28–9–89	31–1–90	1–2–90से 31–1–93	2/1666/87
5.	मै० किरलटेक्सटायल्स, 17/सी, हैवी इन्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर ।	आर जे० / 1871	——वही—— दिनांक 28–9–89	31–1–90	1–2–90 से 31–1–93	2/1659/ 87
6.	मै० मैटल फैबरीकेटर्स, 38, इन्डस्ट्रीयल एरिया, न्यू पावर हाऊस के पीछे, जोधपुर राजस्थान ।	आर जे०/ 3788	———वही——— दिनांक 28–9–89	30–9–90	1–10–90 से 30–9–93	2/ 2522/ 90
7.	मै० सोना इन्जिनियर्स प्रा० लि० 87, चेतक मार्ग उदयपुर, राजस्थान ।	आर जे०/ 4329	———वही——— दिनांक 29–7–91	29–2–92	1–3–92 से 28–2–95	2/ 3697

अनुसूची–

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी खर्चों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता है, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/771—जहां मैसर्स कोनार्क पम्पस एण्ड प्रेसीस प्रा. लि. रजि. आफिस प्लाट सं. 1, शहीद नगर भुवनेश्वर-751007 उड़ीसा कोड सं. ओ.आर./3513 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उडीसा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1-2-88 से 31-1-91 तक ।

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/779—जहां मैसर्स श्री वेंकटेसा पेपर एण्ड बोर्ड्स, लि., सेनामी नायापुरम, भालायकुलम, पोस्ट-641113 (टी.एन./11266) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जाम/89/भाग-1 दिनांक 26-2-90 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 11-12-91 से 10-12-94 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 10-12-94 भी शामिल है।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/787—जहां मैसर्स टी. एस्टेट इण्डिया लि. ब्रूक हाउस नं. 1, पो. आ. रोड पो. बा. सं. 13 कोनूर-641103 (टी. एन. 1055) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (ब) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जाम/89/पार्ट-1 दिनांक 9-9-91 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 29-2-92 से 31-1-95 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 31-1-95 भी शामिल है ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/795—जहां मैसर्स सुगावनेश्वर स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि., वेल्लूर मेन रोड मिनामपल्ली सलम-636106 (कोड सं. टी. एन./21223) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (ब) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1-3-90 से 28-2-91 तक ।

अनुसूची- 1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले आना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जी सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/803—जहां मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीस, लिमिटेड, चंदा सीमेन्ट वर्क्स, डाक घर : सीमेन्ट नगर, जिला-चन्दरापुर (एम. एस.) कोड नं. महा./11552 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की सं. एस. 35014/229/83/पी. एफ. 2 एस. एस. दिनांक 28-7-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 24-12-89 से 23-12-92 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 23-12-92 भी शामिल है ।

अनुसूची- I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 22 मार्च 1993

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/838—यहां मैसर्स आर.बी.आर. एण्ड जे.सी.ओ.पी. कालेज आफ इन्जीनियरिंग, गुन्टूर, चोधावराम-552019 (ए.पी./16652) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/पार्ट-1/2991-98 दिनांक 17-10-92 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 1-2-93 से 31-1-96 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 31-1-96 भी शामिल है ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/ नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/846—जहां मैसर्स स्टील इण्डस्ट्रीज केरला लि. अजीक्कल पी. ओ. कन्नौर-670009 (के. आर./10273) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कालीकट ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1-3-1992 से 28-2-1995 तक) ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी के व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/854—जहां मैसर्स माण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्य कार्यालय दिनदौर रोड मण्डला (मध्य प्रदेश) एम. पी. 15167 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जबलपुर ने स्कीम की धारा 28(7) उसके अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-7-1988 से 30-6-1991 तक) ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्विष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/छी. एल. आई/एक्जम/89/भाग-1/862—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसको इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उसके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—1

क्षेत्र बम्बई

क्र० स०	स्थापना का नाम व पता	कोड संख्या	भारत सरकार की अधिसूचना सं० तथा दिनांक जिसके द्वारा छुट प्रदान की गई/विस्तार किया	छूट की तिथि	छूट की बढ़ाई जाने की तिथि	के०भ०नि०आ० फाईल सं०
1.	मै० फुल फोर्ड इण्डिया लि०, ग्राम्स फोर्ट हाऊस, अपोलो बन्दर, बम्बई—400039	एम० एच०/ 11742	2/1959/डी०एल० आई०/ 89—पार्ट–I, दिनांक 10–12–90	28–2–90	1–3–90 28–2–93	2/1489/86 डी० एल० आई०
2.	मै० मेकर्स डेवलेपमेंटस सर्विस लि०, मेकर टावर, "एफ" पहली मंजिल, कुफे परेड, बम्बई—5	एम० एच० / 24576	2/1959/डी० एल० आई०/ एक्जम/89/पार्ट—I, दिनांक 12–7–91	28–2–93	1–3–93 29–2–96	2/3641/91 डी०एल० आई०

अनुसूची—I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/870—नेशनल इन्सट्रूमेंटस लि., 1/1, राजा एस. सी. मलीक रोड, जादवपुर, कलकत्ता-700032, (डब्ल्यू. बी./1752) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/बी. एल. आई./एक्जाम/89//भाग-1 दिनांक 21-3-1990 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना की और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 29-1-1993 से 28-1-1996 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-1-1996 भी शामिल है ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति में कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/918—जहां मैसर्स गोदरेज (इण्डिया) लि., तेज बिल्डिंग बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 डी. एल./743 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जबकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार /केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89//भाग-1 दिनांक 12-2-1990 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 28-8-1991 से 27-8-1994 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 27-8-1994 भी शामिल है ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्धारित करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/878—जहां मैसर्स हिन्द लैम्पस लि., शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद (यू. पी.) यू. पी./105 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या एस.-35014/45/83-पीएफ-2 दिनांक 12-3-83 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 7 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 12-3-1986 से 28-2-1993 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-2-1993 भी शामिल है ।

अनुसूची—I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/887—जहां मैसर्स इन्टर नेशनल डाटा मैनेजमेंट सफेद पुल, सर एम. वाल्चजी रोड, बम्बई-400072 तथा शाखा सहित (महा./21660) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप-बंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बम्बई ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 6 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-9-1989 से 31-8-1995 तक) ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम की सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/894—यहां मैसर्स अपोलो टायर्स लि., लिमड़ा गांव, तालुक वागडिया, जिला बड़ौदा (गुज./20425) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बड़ौदा ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-12-1992 से 30-11-1995 तक) ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदाय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने को एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/902—जहां मैसर्स प्रगति केमिकल्स, 94-बी, जी आई डी सी, नन्देशवरी, डिस्ट्रीक, बड़ोदा-391340 (जी जे/14543) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डी.एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1 दिनांक 4-4-91 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 1-3-90 से 28-2-93 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-2-93 भी शामिल है ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और उस समय उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/910—जहां मैसर्स पंजाब बिजनेस एण्ड सप्लाई कम्पनी (पी) लिटीडी ई-4, इण्डस्ट्रीयल एरिया, यमुना नगर (हरि.) लिमिटेड, (एच. आर./1277) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1-6-1992 से 31-5-1995 तक) ।

अनुसूची- I

1 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी प्रकार से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी की आगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/926—जहां मैसर्स ईस्टर्न इण्डस्ट्रीयल वर्क्स, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001, (कलकत्ता/10352) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-12-88 से 30-11-91 तक) ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

वी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/934—जहां मैसर्स दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर-713203, जिला बर्धवान, प. बंगाल (डब्ल्यू. बी/9528), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डी एल आई/एक्जम/89 भाग-1 दिनांक 19-11-89 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 28-2-92 से 27-2-95 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 27-2-95 भी शामिल है ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दाखत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि में कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस निरत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों का जो यदि छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/942—जहां मैसर्स कर्नाटका स्टेट को. अग्रीकलचर एण्ड डेवलेपमेंट बैंक लि., बैंगलोर-18 (के. एन./2774) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जबकि ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89 पार्ट-1 दिनांक 25-9-89 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 1-7-91 से 30-6-94 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 30-6-94 भी शामिल है ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रोत्कर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

स. 2/1959/डी. एल. आई./एक्ज/89/भाग-1/950—जहां मैसर्स ग्राफाइट इण्डिया लिमिटिड विश्वेश्वराय इण्डस्ट्रियल एरिया व्हाइट फिल्ड रोड, बंगलूर-48 (के.एन./5305) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या एस-35014/450/92-पी एफ.-II दिनांक 31-1-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 12-2-89 से 11-2-92 और 12-2-92 से 11-2-95 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 11-2-95 भी शामिल है।

अनुसूची—I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 24 फरवरी 1993

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/573—जहां मैसर्स डेक्कन आयुर्वेद आश्रम फारमेसी लि. 17-1-204/8, सैदाबाद हैदराबाद-500 659 (ए. पी./1276) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं, (दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक)।

अनुसूची—I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई–400020, दिनांक 22 मार्च 1993

सं० यूटी/डी०बी०डी०एम०/2044 ए/एस०पी० डी० 59/92–93—राजलक्ष्मी यूनिट योजना, 1992 (आर० यू० एस०–92) के प्रावधान, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 21 के अन्तर्गत बनाये गये हैं और जिसे दिनांक 9 सितम्बर, 1992 को हुई बैठक में कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदित किया है तथा 7 अक्तूबर, 1992 की कार्यकारिणी समिति की बैठक में संशोधित किये गये हैं, इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं ।

राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड निम्नलिखित यूनिट योजना बनाता है ।

उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य है, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष तक की उम्र की बालिका की ओर से योजना में निवेश के द्वारा प्राप्त होगा और जो बालिका द्वारा अवरुद्ध अवधि की समाप्ति पर पुनर्खरीद की जा सकती है । बालिका के पक्ष में निवेशित राशि स्वरूप में अप्रति संहरणीय होगी और अवरुद्ध अवधि की समाप्ति पर केवल बालिका द्वारा ही इस पर दावा किया जा सकता है । इसके पश्चात दिये गए प्रावधानों से योजना संबंधी ब्यौरे स्पष्ट होते हैं ।

I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का प्रारंभ :

(1) यह योजना राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 कही जाएगी ।

(2) यह 2 अक्तूबर, 1992 से प्रभावी होगी ।

(3) पूरे वर्ष यूनिटों की बिक्री की जाएगी केवल जून माह को छोड़कर जबकि लेखा के प्रयोजन से बहियों बंद रहती है । किंतु अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री योजना शुरू होने के बाद किसी भी समय समाचार पत्रों में या किसी भी अन्य माध्यम के माध्यम से एक सप्ताह की सूचना देकर बिक्री को स्थगित कर सकते हैं ।

II. परिभाषाएं :

इस योजना में जबतक कि विषयवस्तु में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963;

(ख) "स्वीकृति तिथि" ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए ट्रस्ट को भेजे गए आवेदन पत्र के संदर्भ में स्वीकृति तिथि का अर्थ है उक्त तिथि जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर आवेदन पत्रों को स्वीकार करता है कि यह सही है ।

(ग) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना में शामिल होने के लिए पात्र व्यक्ति है, वह नाबालिग नहीं है और योजना के खण्ड 4 के अन्तर्गत आवेदन करता है ।

(घ) "आवेदन पत्र" का अर्थ है आवेदन पत्र जो योजना के खण्ड 4 में संदर्भित है ।

(ङ) "बच्चा" का अर्थ है "बालिका" जिसकी उम्र 5 वर्षों से अधिक न हो ।

(च) सरकार" का अर्थ है कोई भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार भी जो इस योजना के अन्तर्गत बच्चे के लाभ के लिए बालिका की ओर से निवेश करती है ।

(छ) "मान्यताप्राप्त शेयरबाजार" का अर्थ है कोई शेयर बाजार जो उस समय के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त है ।

(ज) "विनियम" का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 जो अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनायी गई है ।

(झ) "यूनिट" का अर्थ है यूनिट पूंजी के 10 रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर ।

(ञ) "यूनिट धारक' योजना के अन्तर्गत एक अभिव्यक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए इसका अर्थ है बालिका जिसके पक्ष में योजना के अन्तर्गत निवेश किया गया है ।

(ट) अन्य सभी अभिव्यक्तियों जिन्हें यहां परिभाषित नहीं की गयी हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिए गए हैं ।

III. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य 10/-रुपये होगा तथा न्यूनतम निवेश 1000/- रुपये का होगा और उसके 10 यूनिटो के गुणजों में किया होगा। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।

यूनिटों के लिए आवेदन पत्र :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन पत्र किसी वयस्क, किसी कम्पनी, किसी कार्पोरेट संस्था, किसी पंजीकृत समिति, पात्र न्यास, केन्द्रीय/राज्य सरकार या कोई न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक जो आवेदन पत्र की तिथि को 5 वर्ष तक की बालिका के पक्ष में इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फार्म में अपना आवेदन कर सकते हैं ।

(2) आवेदन पत्र वैसे फार्म में जमा करना होगा जो ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) (i) सरकार द्वारा आवेदित यूनिटों का भुगतान आवेदन पत्र के साथ भुगतान आदेश द्वारा किया जाएगा ।

(ii) किसी आवेदक द्वारा यूनिटों के लिए आवेदन पर भुगतान उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । चेक या ड्राफ्ट द्वारा उक्त नगर के अन्तर्गत स्थित बैंक की किसी शाखा पर आहरित होना चाहिए जहां कार्यालय संग्रहण केन्द्र हो और आवेदन पत्र वहां जमा किया जा रहा हो ।

(iii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाता है तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट द्वारा चेक प्राप्त करने की तिथि होगी बशर्ते कि चेक की राशि प्राप्त हो गयी हो । यदि ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता है तो स्वीकृति तिथि उक्त ड्राफ्ट निर्गत होने की तारीख होगी, बशर्ते उक्त ड्राफ्ट की राशि प्राप्त हो गयी हो । साथ ही ट्रस्ट द्वारा आवेदन पत्र उक्त अवधि के अन्तर्गत प्राप्त हो गया हो जो ट्रस्ट द्वारा उचित समझा जाएगा । यदि आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान के वास्ते जमा की गयी राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि से कम है तो यूनिट धारक को उतनी कम संख्या में यूनिटें जारी की जाएंगी जितनी योजना के अन्तर्गत की जातीं तथा शेष राशि आवेदक को उसके खर्च पर उस रूप में वापस कर दी जाएगी जिस रूप में ट्रस्ट सही समझेगा ।

(iv) बालिका के नाम से एक यूनिट प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक द्वारा रिकार्डेड डिलीवरी के साथ या बिना पावती के या साधारण डाक द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा । प्रेषित यूनिट प्रमाण पत्र के खो जाने, नुकसान होने, गलत डिलेवरी या नहीं डिलेवरी मिलने के संबंध में ट्रस्ट उत्तरदायी नहीं होगा ।

(v) इस योजना के अन्तर्गत निवेश करनेवाली सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वे यह देख लें कि योजना के अन्तर्गत बालिका शामिल होने के योग्य है और सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र उचित रूप से भरे गए हैं ।

आवेदन पत्र के स्वीकार करने और अस्वीकार करने का ट्रस्ट का अधिकार ।

योजना के अन्तर्गत यूनिटों के जारी करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार करने और या अस्वीकार करने का एक मात्र विवेकाधिकार ट्रस्ट को रहेगा । योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के सम्बन्ध में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा ।

(vi) यूनिट प्रमाण पत्र का फार्म

यूनिट प्रमाण पत्र इससे सम्बद्ध फार्म 'ए' में होगा । प्रत्येक प्रमाण पत्र में विभेदक संख्या होगी, प्रमाण पत्र में यूनिटों की संख्या तथा बालिका का नाम होगा जो प्रमाण पत्र में अंकित यूनिटों की एक मात्र अधिकारी होगी ।

योजना के अन्तर्गत जारी की गई यूनिटों पर केवल उस बालिका का ही अधिकार होगा जिसके नाम उक्त यूनिट प्रमाण पत्र ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है और इस योजना की शर्तों के अनुसार बालिका द्वारा धारित की जाएगी । जिस आवेदक के अनुरोध पर यूनिटें बालिका के पक्ष में जारी की गई हैं, उनका इन यूनिटों में कोई अधिकार नहीं होगा ।

(VII) योजना किस प्रकार काम करेगी

योजना के अन्तर्गत कम से कम 1000/- रुपये का निवेश किया जा सकता है जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति जैसा कि पहले कहा गया है, किसी ऐसी बालिका के पक्ष में निवेशित कर सकते हैं जिसकी उम्र 5 वर्ष तक की हो । योजना में प्रवेश करते समय बालिका की उम्र के आधार पर अवरुद्ध अवधि कम से कम 16 साल की होगी और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिपक्वता राशि 11000/-रु० से 21000/-रु० के बीच होगी ।

प्रवेश की उम्र	न्यूनतम राशि	अवरुद्ध अवधि	अवरुद्ध अवधि समाप्त होने पर देय परिपक्व राशि
1 वर्ष तक और सहित	1000/—रु०	20	21,000/—रु०
1 से 2 के ऊपर	1000/—रु०	19	18,000/—रु०
2 से 3 के ऊपर	1000/—रु०	18	15,000/—रु०
3 से 4 के ऊपर	1000/—रु०	17	13,000/—रु०
4 से 5 के ऊपर	1000/—रु०	16	11,000/—रु०

उन बालिकाओं के लिए एक निवेश प्रोत्साहन होगा जो योजना के प्रथम तीन माह अर्थात्: अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर 1992 में शामिल होंगी। उन बालिकाओं के लिए जो 19 और 20 वर्षों की श्रेणी की अवरुद्ध अवधि में आती है 1000/— रुपये के प्रत्येक निवेश पर परिपक्वता के समय 1000/— रु० का एक प्रोत्साहन भुगतान देय होगा।

जो बालिकाएं अन्य तीन श्रेणियों (अर्थात् 16, 17 और 18 की अवरुद्ध अवधि) में आती हैं, वे प्रत्येक 1000/— रू० के निवेश पर 750/— रु० का एक प्रोत्साहन पाएंगी जो परिपक्वता के समय देय होगा।

(VIII) यूनिटों की बिक्री :

यह माना जाएगा कि यूनिटों की बिक्री के लिए संविदा स्वीकृति की तिथि को पूरी हुई है। बिक्री के लिए संविदा का समाप्ति पर ट्रस्ट यथा संभव इसके बाद आवेदक को पावती भेजेगा। इसके बाद ट्रस्ट आवेदक को एक यूनिट प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें बालिका के नाम जारी यूनिटों का उल्लेख होगा।

(IX) यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) योजना के चालू रहने के दौरान ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद नहीं करेगा। बालिका अवरुद्ध अवधि के पूरा होने के बाद यूनिटों की पुनर्खरीद करने की अधिकारी होगी।

(2) किंतु बालिका की मृत्यु की स्थिति में तथा सम्बंधित यूनिट प्रमाण पत्र को माता-पिता/वैध प्रतिनिधि द्वारा ट्रस्ट के पास जमा करने पर ट्रस्ट, दावे की पुष्टि के संबंध में औपचारिकओं की पूर्ति होने पर उक्त पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीत करेगा जो समय-समय पर यूनिट धारक की धारण अवधि के सम्बंध में ट्रस्ट द्वारा निश्चित किया जाता है।

(3) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गयी यूनिटों का भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र किया जाएगा माता-पिता/वैध प्रतिनिधि को बकाया राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(X) यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबन्ध :

योजना के किसी प्रावधान में किसी बात के होते हुए ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा :—

(i) उक्त दिवसों में जबकि वे कार्य दिवस नहीं हैं; और

(ii) उक्त अवधि के दौरान जबकि यूनिट धारकों के रजिस्टर बहियों और लेखों की वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथा अधिसूचित) के कारण बन्द रहती है।

स्पष्टीकरण :

इस योजना के प्रयोजन के लिए "कार्य दिवस" का अर्थ होगा एक ऐसा दिन जो निम्नलिखित दोनों में कोई भी दिवस नहीं है।

(i) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत महाराष्ट्र, राज्य में या वैसे अन्य राज्यों में जहां ट्रस्ट की अपनी शाखाएं हैं, अधिसूचित हो; या

(ii) भारत के राजपत्र में ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित जिस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा।

(iii) बच्चे की मृत्यु या परिपक्वता की स्थिति में पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को पूरा हुआ माना जाएगा जबकि यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए, आवेदन पत्र दिया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत किया जाएगा,

(iv) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गई यूनिटों के लिए भुगतान, पुनर्खरीद तिथि के बाद आवेदन पत्र में निर्दिष्ट विधि से यथाशीघ्र किया जाएगा। बकाया देय राशि पर किसी भी कारणवश ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट या चैक की वसूली पर हुए खर्च का वहन दावाकर्ता/यूनिट धारक द्वारा किया जाएगा।

(XI) बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य :

(1) यूनिटों का बिक्री-मूल्य अवधि के दौरान यूनिटों के बिक्री मूल्य सममूल्य पर होगा।

(2) इसके खण्ड XXVII में विनिर्दिष्ट तरीके से योजना की समाप्ति की स्थिति में पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण, योजना की समाप्ति के लिए अधिसूचित

तिथि का व्यवसाय के बन्द होने पर योजना सम्बन्धी आस्तियों का मूल्यांकन कर तथा योजना से संबंधित देयताओं को घटाकर और बकाया यूनिटों की संख्या द्वारा भाग देकर और उनमें से उतनी राशि घटाकर जो ट्रस्ट की राय में ब्रोकरेज, कमीशन, कर, यदि कोई हो, स्टम्प शुल्क और ट्रस्ट द्वारा निवेशों की वसूली से सम्बन्धित अन्य खर्चे और योजना के सम्बन्ध में यूनिट धारकों के आस्तियों के लिए वितरण की अदायगी और बन्दी के सम्बन्ध में व्यय और अन्य समायोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। ऐसी स्थिति में, पुनर्खरीद मूल्य में सममूल्य के अतिरिक्त ट्रस्ट द्वारा निकाली गयी प्रति यूनिट आस्ति का अन्य वितरण योग्य घटक जो इसके लेखा परीक्षकों के लिए संतोषजनक हो और जिस रूप में बोर्ड अनुमोदित कर सके, शामिल होगा।

(XII) पुनर्खरीद मूल्य का अंतिम प्रकाशन :

इसके खण्ड ९ में दी गई स्थिति से योजना की समाप्ति पर ट्रस्ट यथाशीघ्र अंतिम पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण करने के बाद इस रूप में प्रकाशित करेगा जिस रूप में उसे उचित समझेगा।

(XIII) इस योजना से सम्बन्धित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) खण्ड IX के उप खण्ड (2) के अन्तर्गत आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए आस्तियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा; (क) नकद (ख) निवेश और (ग) अन्य आस्तियां;

(2) निवेशों का मूल्यांकन निम्नलिखित को शामिल कर लिया जाएगा।

(अ) (क) शेयर बाजार के कार्य दिवस के बन्द होने का मूल्य जिस पर इस योजना से सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाता है बशर्ते कि प्रतिभूति एक से अधिक शेयर बाजारों में कोट किये जाते हैं, वैसी प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण की विधि ट्रस्ट द्वारा निश्चित की जाएगी।

(ख) जहां संगत अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया या किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में उक्त मूल्य कोट किया गया जिसे ट्रस्ट उक्त निवेशों का उचित मूल्य उक्त परिस्थिति में समझेगा; और

(ब) उनमें जोड़ें :—

(क) ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियों में अर्जित ब्याज किन्तु अप्राप्त;

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले में अर्जित ब्याज किन्तु अप्राप्त; और

(ग) तरजीही शेयरों और कोट किए गए इक्विटी शेयर के मामले में पूर्व लाभांश और घोषित लाभांश किन्तु अप्राप्त;

(घ) अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके बही मूल्य पर किया जाएगा।

(XIV) यूनिट प्रमाण पत्र को तैयार करने की विधि :

यूनिट प्रमाण पत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ किया हुआ या मुद्रित हो सकता है जैसा न्यासीमंडल समय-समय पर निर्धारित करेगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। उक्त प्रत्येक हस्ताक्षर या तो स्व हस्ताक्षरित होगा या यांत्रिकी तरीके से किया गया हो। कोई भी प्रमाण पत्र जो इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाण-पत्र मान्य होगा और इस बात के होते हुए बाध्यकारी होगा कि इसके निर्गम के पूर्व इसमें जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर है, वे अब ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के अधिकृत व्यक्ति नहीं है। किन्तु इस रूप में तैयार किया गया यूनिट प्रमाणपत्र में अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है, किन्तु जो प्रमाण-पत्र के निर्गम के समय मृत हैं, ट्रस्ट सबसे अच्छे तथा सुविचारित तरीके से उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर जो प्रमाण-पत्र पर है, रद्द कर सकता है और अन्य अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर उस पर लगवा सकता है। इस रूप में निर्गत प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।

(XV) यूनिट प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में ट्रस्ट द्वारा मान्यता नहीं दिया जाना :

कोई व्यक्ति जो धारक के रूप में पंजीकृत है और उसके नाम कोई यूनिट प्रमाण पत्र जारी किया गया है, केवल वही ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारक के रूप में मान्य होगा और यह समझा जाएगा कि केवल उसे ही कोई अधिकार, स्वत्वाधिकार या हित इसमें या उक्त यूनिट प्रमाण पत्रों में हैं जिन्हें वे प्रस्तुत करते हैं और ट्रस्ट उक्त यूनिट धारक को उनका एक मात्र स्वामी मान सकता है और किसी अन्यथा नोटिस से या किसी भी ट्रस्ट के क्रियान्वयन के लिए जारी किसी नोटिस या, सिवा इसके कि इसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है या किसी कार्यक्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश है, जिसमें किसी ट्रस्ट या ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता देना है जिससे कोई यूनिट प्रमाण पत्र या प्रस्तुत यूनिटों का अधिकार प्रमाणित होता है, से भी बंधा नहीं होगा।

(XVI) जब प्रमाण पत्र फटे-फटे, विरुपित, लापता आदि है यूनिट प्रमाण पत्रों का विनिमय और प्रक्रिया :

(1) इस योजना के प्रावधानों के अधीन यदि कोई प्रमाण-पत्र फट-फट जाता है या घिस-पिट या विरुपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक

के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। इसकी समग्र संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे विरूपित यूनिट प्रमाणपत्रों की थी। यदि कोई यूनिट प्रमाण-पत्र खो जाता है चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उनके बदले में नये यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र जब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि ट्रस्ट को;

(i) मूल प्रमाणपत्रों के कटे-फटे होने, टूटने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट होने के संतोषजनक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाते;

(ii) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं किया जाता;

(iii) कटे-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्रों को दिया नहीं जाता; और

(iv) उक्त क्षतिपूर्ति बन्धपत्र जो अपेक्षित हैं, जमा नहीं किया जाता;

(2) इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे प्रमाणपत्रों को जारी करने का दायित्व ट्रस्ट का नहीं होगा।

XVII यूनिट धारकों का रजिस्टर :

यूनिट धारकों के पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारकों का एक रजिस्टर रखा जाएगा और इस रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जायेंगी।

(क) यूनिट धारकों के नाम और पते ;

(ख) प्रमाणपत्र की विभेदक संख्या और प्रत्येक उक्त व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) उक्त व्यक्ति को यूनिट के जो उनके नाम में है, धारक बनने की तिथि।

(2) किसी यूनिट धारक द्वारा नाम या पता में किया गया कोई परिवर्तन ट्रस्ट के लिए अधिसूचित करना होगा जो उक्त परिवर्तनों के सम्बन्ध में संतुष्ट होने पर और अपेक्षित उक्त औपचारिकताओं की पूर्ति कर रजिस्टर में तदनुसार परिवर्तन करेंगे।

(3) केवल रजिस्टरों के बन्द रहने की अवधि को छोड़कर, इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार कार्यअवधि के दौरान (ट्रस्ट द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन किन्तु प्रत्येक कारोबार के दिन कम-से-कम दो घंटे निरीक्षण के लिए खुला होना चाहिए)। यूनिट धारकों के लिए बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा।

(4) रजिस्टर उक्त समय पर और उक्त अवधि के लिए बन्द रहेगा जो ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा किन्तु किसी भी वर्ष में 60 दिनों से अधिक समय के लिए बन्द नहीं रहेगा। उक्त बन्दी की सूचना का विज्ञापन ट्रस्ट द्वारा उक्त समाचार पत्रों में दिया जाएगा जो बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

(5) किसी भी यूनिट के सम्बन्ध में रजिस्टर में किसी ट्रस्ट की कोई स्पष्ट, निहित और रचनात्मक सूचना नहीं अंकित की जाएगी।

XVIII ट्रस्ट को उन्मोचन करने का यूनिट धारक द्वारा रसीद :

प्रमाणपत्रों के यूनिटों के सम्बन्ध में यूनिट धारकों द्वारा भुगतान की गयी कोई मुद्रा का रसीद ट्रस्ट के लिए अच्छा उन्मोचन (गुड डिस्चार्ज) माना जाएगा।

XIX यूनिट धारकों द्वारा नामांकन :

योजना के अन्तर्गत कोई नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

XX यूनिटों का हस्तांतरण :

इस योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटों के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

XXI यूनिट धारक की मृत्यु :

यूनिट धारक की मृत्यु होने की स्थिति में वैध प्रतिनिधि वह/वे व्यक्ति होगा/होंगे जो ट्रस्ट द्वारा वैसे व्यक्ति के रूप में मान्य होंगे जो विनियमों के अन्तर्गत यूनिटों के सम्बन्ध में ट्रस्ट से राशि पाने के अधिकारी होंगे।

XXII निवेश की सीमाएं :

(1) ट्रस्ट द्वारा किसी भी योजना की निधि से किसी भी कम्पनी की प्रतिभूति में निवेश की राशि, उक्त कंपनियों की बकाया राशि और जारी प्रतिभूतियों की राशि का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बशर्ते कि पूंजी में उक्त निवेशों की समग्र राशि, नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा प्रारम्भ में जारी किसी भी समय उक्त निधि की कुल राशि से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) उप खण्ड (1) में निर्धारित की गयी सीमा ट्रस्ट के निवेशों में बांडों और डिबेंचरों और किसी कम्पनी की जमा राशियों सुरक्षित या असुरक्षित में लागू नहीं होगी।

XXIII आय वितरण :

योजना के अन्तर्गत नियमित आय का वितरण नहीं होगा। बालिका जिसकी उम्र कम से कम 1 वर्ष है, के पक्ष में निवेशित

1000 रुपये की राशि 20 वर्षों की अवधि के बाद 21,000 रु० बन जाती है। अर्थात् 20 वर्षों में मुद्रा बढ़कर 21 गुनी हो जाती है। अवरुद्ध अवधि के बाद बालिका इस संचयी राशि को पाने की अधिकारी होगी। ट्रस्ट समय-समय पर बोनस घोषित करेगा जो परिपक्वता पर भुगतान योग्य होगा।

XXIV. योजना के अन्तर्गत परिपक्वता :

(क) बालिका योजना में तब तक भाग ले सकती है जब तक वह अवरुद्ध अवधि पूरी नहीं करती।

(ख) बालिका जब अवरुद्ध अवधि पूरी करती है और योजना के अन्तर्गत बालिका को निर्गत यूनिट प्रमाण-पत्र ट्रस्ट को अभ्यर्पित करती है, ट्रस्ट प्रमाणपत्र में अन्तर्विष्ट सभी यूनिटों को खरीद लेगा।

(ग) अवरुद्ध अवधि का निर्धारण सिर्फ आवेदन पत्र जमा करने के समय घोषित बालिका की उम्र के आधार पर होगा।

(घ) यदि बालिका द्वारा जब वह अवरुद्ध अवधि पूरी करती है, पुनर्खरीद के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, मुद्रा ट्रस्ट के पास रहेगी, और बालिका को बिना किसी ब्याज के भुगतान कर दिया जायेगा।

(ङ) यदि आवेदन पत्र माह अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1992 के दौरान जमा किया गया है तो बालिका के नाम में जमा यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य के अलावा, प्रत्येक 1000/- रु० की प्रारम्भिक निवेशित राशि पर 1000/- रु० की राशि से मिलेगी। यह उसके लिए प्रोत्साहन भुगतान के रूप में होगा जो 19 और 20 वर्षों की अवरुद्ध अवधि के साथ योजना में शामिल होगी तथा प्रत्येक 1000/- रु० पर 750/- रु० उन्हें दिए जाएंगे जो 16, 17 और 18 वर्षों की अवरुद्ध अवधि के लिए शामिल होंगी। अन्य सभी मामलों में बालिका पुनर्खरीद मूल्य पाने की हकदार होगी जैसा कि संगत खण्डों में उल्लिखित है।

XXV. लेखा का प्रकाशन :

प्रत्येक वर्ष 30 जून, के बाद ट्रस्ट यथासंभव शीघ्र लेखों को उस रूप में प्रकाशित करेगा जैसा कि बोर्ड निश्चित करेगा। बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से लेखों के प्रकाशन में उस तिथि को समाप्त अवधि के दौरान योजना के कार्य परिचालन दिखलाया जाएगा। किसी भी यूनिटधारक से लिखित रूप में प्राप्त अनुरोध पर प्रकाशित लेखों की एक प्रति उन्हें भेजी जाएगी।

XXVI. योजना में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा रूप में संशोधन करेगा और इसमें कोई संशोधन/परिवर्धन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

XXVII. योजना की समाप्ति :

यदि इस योजना के अन्तर्गत ट्रस्ट के यूनिटधारकों के हित में न होने की परिस्थितियां बनती है तो योजना की समाप्ति सरकार को पर्याप्त सूचना देकर समाप्त की जा सकती है। योजना में शामिल होने वाले सभी यूनिटधारकों को उनके नाम जमा यूनिटों के मूल्य का भुगतान उक्त प्रयोजन के लिए निश्चित किये गये अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाएगा। इस रूप में निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पाने के अलावा कोई अन्य लाभ पुनर्खरीद मूल्य की वृद्धि के रूप में या किसी अनुवर्ती अवधि के लिए लाभांश के रूप में अर्जित होगा। पुनर्खरीद के लिए प्राप्त यूनिट प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण के लिए रखा जाएगा।

XXVIII. यूनिटधारकों पर बाध्यकारी योजना :

समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों सहित योजना की शर्तें प्रत्येक यूनिटधारक पर और उनके माध्यम से दावा करने वाला हर अन्य व्यक्ति पर बाध्यकारी होगी मानो उसने स्पष्ट रूप से सहमति प्रकट की है कि योजना के अन्तर्विष्ट प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी उस पर बाध्यकारी होगी।

XXIX. यूनिटधारकों के लिए लाभ :

योजना के बन्द होने के समय पूंजी और आरक्षित निधि और अतिरिक्त राशि यदि कोई है, के सम्बन्ध में योजना के अंतर्गत प्रोद्भूत सभी लाभ यूनिटधारकों को उपलब्ध होंगे जो योजना के बन्द होने के समय तक की पूरी अवधि तक के लिए यूनिटों के धारक रहे हैं।

योजना की प्रति उपलब्ध किया जाना :

सभी संशोधनों सहित योजना की एक प्रति ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जाएगी जो कार्य समय के दौरान बराबर उपलब्ध रहेगी और किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट द्वारा या आवेदन पत्र के साथ 5/- रु० जमा करने पर आपूर्ति की जा सकती है।

XXXI. प्रावधानों को अर्थ लगाने की अधिकार :

यदि किसी भी प्रावधान की व्याख्या करने में कोई शंका उत्पन्न होती है तो अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को अधिकार है कि वे योजना के प्रावधानों का अर्थ स्पष्ट करें कि यह किसी भी रूप में प्रतिकूल नहीं है या योजना की मौलिक मूल संरचना के विपरीत नहीं है। यह निर्णय निर्णायक होगा।

XXXI. प्रावधानों के शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन :

ट्रस्ट के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से या योजना के सहज परिचालन के लिए योजना का कोई भी प्रावधान शिथिल, परिवर्तित

या संशोधित कर सकते हैं; यदि कोई यूनिटधारक या यूनिट-धारकों के वर्ग के लिए यह उचित समझा जाता है।

प्रतीक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत निगमित)
राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 (आरयूएस 1992)
(खण्ड VI)

यूनिट प्रमाण पत्र सं० यूनिटों की सं०

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र में नामांकित व्यक्ति निम्नलिखित यूनिटों के पंजीकृत धारक हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के प्रावधानों, उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों और राजलक्ष्मी यूनिट योजना, 1992 (आर यू एस 1992) की शर्तों के अधीन प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये है।

नाम :—

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट

दिनांक : अध्यक्ष न्यासी

राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 (आरयूएस 1992)
के अन्तर्गत यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए आवेदन पत्र

दिनांक ——————

भारतीय यूनिट ट्रस्ट,

मैं ——————————————————

——————————————————

——————————————————

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की राजलक्ष्मी यूनिट योजना, 1992 (आरयूएस 1992) की ——————यूनिटों का पंजीकृत धारक हूं। मैं——————————

——————————————————

ट्रस्ट को उक्त——————यूनिटें बेचने का इच्छुक हूं और प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट सममूल्य पर/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित/चालू मूल्य पर पुनर्खरीद मूल्य पर इस आवेदन पत्र से सम्बन्धित यूनिटों की खरीद करें। यूनिटों का मूल्य मुझे नगद/चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा मेरे खर्चे पर भुगतान किया जाए।

साक्षी का हस्ताक्षर धारक का हस्ताक्षर

नाम : ——————

पेशा : ——————

पता : ——————

——————

——————

——————

साक्षी का हस्ताक्षर

नाम : ——————

पेशा : ——————

पता : ——————

——————

——————

——————

कार्यालय के प्रयोग के लिए स्वीकृति तिथि

*जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

सं० यूटी/डीबीडीएम/2044ए/एसपीडी 61/92-93—यूनिट योजना, 1992 (यूएस-92) के प्रावधान, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम, 1963 की धारा 21 के अन्तर्गत बनाये गए हैं और जिसे दिनांक 7 अक्तूबर, 92 को हुई बैठक में कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदित किया है, इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं।

यूनिट योजना, 1992

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना बनाता है।

योजना का उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है निवेशकों को निवेश में शामिल होने का एक अवसर प्रदान करना। योजना के अन्तर्गत संग्रहित निधि का कम से कम 50 प्रतिशत उच्च उत्पादक इक्विटियों में निवेश के माध्यम से कार्पोरेट प्रतिभूति बाजार के विकास में भागीदार बनना। अतः दीर्घावधि पूंजी वृद्धि इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य होगा और लाभांशों के रूप में उच्च आय के वितरण के बदले राइट्स और बोनस के माध्यम से बढ़ोत्तरी का भागीदार बनने पर बल दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी आशय है कि अवरुद्ध अवधि के बाद उचित मात्रा में लाभांश भी प्रदान किए जाएं जो कम से कम बैंकों द्वारा सबसे अधिक समय के लिए जमा की गयी राशि पर दी जाने वाली दर के बराबर हो। अतः उचित लाभांश सीमाओं के अधीन यथासंभव अधिकाधिक दर उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) यह योजना "यूनिट योजना, 1992" (यूएस-1992) कही जाएगी।

(2) यह योजना अर्द्ध सतत खुली योजना होगी और 2 नवम्बर, 1992 से आरम्भ होगी।

(3) योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री 2 नवम्बर, 1992 से 23 नवम्बर, 1992 (दोनों दिनों सहित) 22 दिनों के लिए खुली रहेगी। किन्तु अध्यक्ष या कार्यपालक न्यासी योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि की समाप्ति के पहले भी यूनिटों की बिक्री किसी भी समय समाचार पत्र के माध्यम से एक सप्ताह की सूचना देकर स्थगित कर सकते है। अगली बिक्री, सीमित अन्तराल के लिए की जाएगी जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निश्चित की जाएगी।

II. परिभाषाएं :—इस योजना में जब तक की विषयवस्तु में अन्य था अपेक्षित न हो,

(क) अधिनियम का अर्थ है "भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963"

(ख) "स्वीकृति तिथि"—ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए ट्रस्ट को भेजे गए आवेदन पत्र के संदर्भ में स्वीकृति तिथि का अर्थ है उक्त तिथि जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर आवेदन पत्रों को स्वीकार करता है और समझता है कि यह सही है।

(ग) आबंटन की तिथि 1-2-93 होगी।

(घ) योजना के अन्तर्गत "पात्र व्यक्ति" में केवल "निवासी वयस्क व्यक्ति" एकल रूप में या दो अन्य व्यक्तियों के साथ "संयुक्त/या उत्तरजीवी आधार" पर होंगे।

(ङ) "सूचीबद्ध" का अर्थ है वैसे शेयर बाजार में व्यापार के प्रयोजन के लिए यूनिटों का सूचीबद्ध होना जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत उस समय के लिए मान्य है।

(च) "अवरुद्ध अवधि" का अर्थ होगा योजना के अन्तर्गत यूनिटों में आबंटन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि जिसके बाद ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद आरम्भ की जाएगी।

(छ) जारी की जाने वाली यूनिटों की संख्या का अर्थ है बिक्री की गयी और बकाया यूनिटों की समग्र संख्या।

(ज) "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ है ऐसा शेयर बाजार जो उस समय के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

(झ) "विनियम" का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट विनियमावली, 1964 जो अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनायी गयी है।

(ञ) 'योजना' का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित यूनिट योजना, 1992।

(ट) 'यूनिट' का अर्थ है यूनिट पूंजी में 10 रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर।

(ठ) अन्य सभी अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं की गयी हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिए गए हैं।

III. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य 10 रुपये होगा तथा न्यूनतम निवेश 500 यूनिटों (अर्थात 5000/-) का होगा और 100 यूनिटों के गुणजों में होगा। निवेश की कोई अन्तिम अधिकतम सीमा नहीं है।

IV. यूनिटों के लिए आवेदन पत्र :

(1) योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली रहेगी जो परिभाषा के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति है।

(2) आवेदन पत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्य पालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक आवेदक को 5000 यूनिटें (5,000/- रुपये) आबंटित की जाएगी और इसके बाद आबंटन समग्र अभिदान को ध्यान में रखकर ट्रस्ट के विवेक पर होगा।

(4) किसी पात्र व्यक्ति द्वारा यूनिटों की खरीद के लिए आवेदन का भुगतान नकद, चैक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। चैक और ड्राफ्ट बैंक की उन शाखाओं पर आहरित होंगे जो शाखाएं नगर में स्थित हैं तथा वहां उक्त कार्यालय हो जहां आवेदन पत्र जमा किया जाता है। यदि चेक द्वारा भुगतान किया गया है तो स्वीकृति तिथि उक्त चैक की वसूली के अधीन होगी तथा उक्त तारीख होगी जिस दिन ट्रस्ट ने चैक प्राप्त किया था। यदि ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता है तो स्वीकृति तिथि उक्त ड्राफ्ट जारी करने की तारीख होगी बशर्ते कि उक्त ड्राफ्ट की राशि प्राप्त हो गयी हो और आवेदन पत्र ट्रस्ट द्वारा यथोचित समय के अन्तर्गत प्राप्त हो गया हो।

(5) प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक पावती के साथ या इसके बिना आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा। इस रूप में भेजे गए प्रमाण पत्र/पत्रों के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने, गलत डिलीवरी या डिलीवरी नहीं होने के लिए ट्रस्ट उत्तरदायी नहीं होगा।

यूनिटों की पेशकश :

योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री 22 दिनों के लिए अर्थात् 2 नवम्बर, 1992 से 23 नवम्बर, 1992 (दोनों दिन सहित) खुली रहेगी। ट्रस्ट निर्धारित तिथि के पहले इसकी बिक्री को बन्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में 23 नवम्बर, 1992 को या इसके बाद कार्यालय समय के बाद प्राप्त आवेदन अवैध समझा जाएगा और उसे अस्वीकार किया जाएगा।

VI. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) ट्रस्ट 1 फरवरी, 1996 के पहले पुनर्खरीद नहीं करेगा।

(2) ट्रस्ट योजना चालू रहने के दौरान 31 जनवरी, 1996 के बाद पुनर्खरीद के लिए यूनिट प्रमाणपत्र/पत्रों की प्राप्ति पर तत्कालीन पुनर्खरीद मूल्य पर पुनर्खरीद करेगा किन्तु उसके लिए यूनिट प्रमाण-पत्र की दूसरी ओर के फार्म विधिवत् रूप से भरे होने चाहिए और प्रमाण पत्र में अंकित सभी यूनिटें पुनर्खरीद के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। यनिट प्रमाणपत्रों में अंकित यूनिटों की आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जायेगी। विशुद्ध आस्ति मूल्य पर आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी तथा लेन-देन का खर्च उससे घटाना होगी जो विशुद्ध आस्ति मूल्य का 5% से अधिक नहीं होगा।

(3) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गई यूनिटों का भुगतान कोई कटौती यदि है तो उसे घटाकर स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र इस रूप में किया जाएगा जिस रूप में आवेदक आवेदन पत्र में निर्दिष्ट करेगा। आवेदक को बकाया राशि पर किसी कारण से भी ब्याज देय नहीं होगा और प्रेषण (डाक खर्च सहित) का खर्च या ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चैक या ड्राफ्ट की वसूली पर खर्च का भार आवेदक वहन करेगा।

यूनिटों की पेशकश और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना के किसी भी प्रावधान में निहित किसी बात के होते हुए भी ट्रस्ट यूनिटों की बिक्री/ पुनर्खरीद के दायित्व के अधीन नहीं होगा :—

(i) उक्त दिन को जब कि वह कार्य करने का दिन नहीं है और

(ii) यूनिट धारकों के रजिस्टर जब बहियों और लेखों की वार्षिक बन्दी के कारण ट्रस्ट द्वारा यथा अधिसूचित बन्द होते हैं उक्त अवधि के दौरान।

स्पष्टीकरण :

इस योजना के प्रयोजन के लिए "कार्य का दिन" का अर्थ होगा वैसा दिन जो न तो (i) परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में या उन राज्यों में जहां ट्रस्ट की अपनी शाखाएं हैं सार्वजनिक छुट्टी के रूप में या (ii) भारत सरकार के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा एक ऐसे दिन के रूप में अधिसूचित है जिस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा।

VIII. स्वीकृति तिथि को दिए जाने वाले पेशकश या पुनर्खरीद :

ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पेशकश या पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि को प्रचलित संगत मूल्य पर की जाएगी।

IX. पेशकश और पुनर्खरीद मूल्य :

(1) 2 नवम्बर, 1992 से 13 नवम्बर, 1992 तक की अवधि के दौरान बिक्री के लिए प्रत्येक यूनिट की पेशकश इसके अंकित मूल्य 10/— रु० (दस रुपये मात्र) की जाएगी।

(2) जिस मूल्य पर ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद की जायेगी, (इसके बाद 'पुनर्खरीद मूल्य' कहे जायेंगे) ट्रस्ट द्वारा वह मूल्य 1 फरवरी, 1996 को निर्धारित किया जाएगा और इसके बाद प्रत्येक माह की 15 तारीख को या अगला कार्य दिवस को होगा (यदि वह दिन छुट्टी का दिन होग) और अगले माह में पुनर्खरीद के लिए लागू होगा।

(3) पुनर्खरीद मूल्य निम्नवत् निकाला जाएगा। जिस दिन पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण किया जाता है उस कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति के समय (जो इसके बाद निर्दिष्ट किया जाएगा) इस योजना से संबंधित आस्तियों के मूल्य से संबंधित देयताओं को (आस्ति की देय-ताएं या प्रारक्षित राशि, यदि कोई है सहित, यूनिट पूंजी के संबंध में देयताएं नहीं) जो उक्त कार्यदिवस को कारोबार के बन्द होने के समय था, को घटाकर तथा उस दिन के कारोबार की समाप्ति तक जारी यूनिटों की संख्या से भाग देकर तथा उससे उतनी राशि घटाकर जो ट्रस्ट की राय में दलाली, कमीशन, करों, स्टाम्प शुल्क और ट्रस्ट द्वारा विदेशों की वसूली के संबंध में अन्य खर्चों को देने के लिए पर्याप्त हैं, पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा।

(4) जिस दिन का पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाता है उस दिन ट्रस्ट के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर किसी यूनिट का पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा।

(5) उप खण्ड (2), (3) और (4) में किसी बात के अन्यथा होते हुए जबकि ट्रस्ट संतुष्ट है कि ट्रस्ट के हित में यूनिट धारक और योजना को जारी रहने और वृद्धि में यह आवश्यक है या ऐसा करना समीचीन है, ट्रस्ट उस दर पर पुनर्खरीद मूल्य, निर्धारित कर सकता है जो अनिवार्य रूप से उप खण्ड (3) के प्रावधानों के अनुसार नहीं हो सकती हैं और ऐसा निर्धारण ट्रस्ट और यूनिट धारकों के हित में माना जाएगा।

(6) उप खण्ड (2) में किसी बात के अन्यथा होते हुए, ट्रस्ट 15 वें दिन को छोड़कर किसी तिथि को पुनर्खरीद मूल्य निर्धारित कर सकता है जो उक्त अवधि के लिए प्रभावी होगा जिसे वह सही समझता है।

(7) खण्ड XXVI में विनिर्दिष्ट तरीके से योजना की समाप्ति की स्थिति में ट्रस्ट पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण निम्न रूप से करेगा। योजना की समाप्ति के लिए अधिसूचित तिथि को कारोबार की समाप्ति पर, योजना से संबंधित आस्तियों के मूल्य में योजना से संबंधित देयताओं को घटाएं और बकाया यूनिटों की संख्या से उसमें भाग दें और ट्रस्ट की राय में दलाली, कमीशन यदि कोई है, स्टाम्प शुल्क और निवेशों की वसूली के संबंध में कोई अन्य खर्च और योजना के संबंध में आस्तियों का यूनिट धारकों के वितरण और अन्य समायोजन को पूरा करने के लिए जो आवश्यक है, उन्हें उनसे घटाएं। उक्त स्थिति में प्रति यूनिट आस्ति का अन्य वितरण योग्य घटक के लिए सम-मूल्य के अलावा पुनर्खरीद मूल्य होगा जो ट्रस्ट द्वारा अपने लेखा परीक्षकों के संतोष-जनक रीति से निकाली जाएगी और जिस रूप में बोर्ड उसे अनुमोदित करेगा।

X. पुनर्खरीद मूल्य/अन्तिम मूल्य का प्रकाशन :

ट्रस्ट यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य उक्त रूप में प्रकाशित करेगा जो उचित समझेगा। खण्ड XVI में दिए गए तरीके से योजना की समाप्ति पर ट्रस्ट यथाशीघ्र अन्तिम पुनर्खरीद मूल्य निकालने के बाद इस रूप में प्रकाशित करेगा जो वह उचित समझेगा।

XI इस योजना के संबंध में आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) खण्ड IX के उप खण्ड (2) के अन्तर्गत आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए आस्तियों का विभाजन निम्नलिखित रूप में होगा। (क) नकद राशि (ख) निवेश (ग) अन्य आस्तियां।

(2) निवेशों का मूल्यांकन निम्नलिखित को शामिल कर दिया जाएगा।

अ) (क) शेयर बाजार के कार्य दिवस को बन्द होने के मूल्य जिस पर इस योजना संबंधी धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाता है, किंतु जहां एक से अधिक शेयर बाजारों में प्रतिभूति का भाव कोट किया जाता है, उक्त प्रतिभूति का मूल्य निर्धारण ट्रस्ट निश्चित करेगा।

(ख) जहां निवेश का व्यवहार संगत अवधि के दौरान नहीं किया गया या किसी स्वीकृत शेयर बाजार में उसके मूल्य कोट भी नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में जिसे ट्रस्ट उक्त निवेश का उचित मूल्य समझेगा, लेगा।

ब) (क) ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशियों के मामले में, प्रोद्भूत ब्याज किंतु अप्राप्त।

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले में प्रोद्भूत ब्याज किंतु अप्राप्त और

(ग) बिना लाभांश के कोट किए गए ईक्विटी शेयरों और तरजीही, शेयरों के मामले में कोई घोषित लाभांश किंतु अप्राप्त।

(3) अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनकी बहियों में अंकित मूल्य पर किया जाएगा।

XII. यूनिट प्रमाण-पत्रों का फार्म :—

यूनिट प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न फार्म 'ए' में होगा। प्रत्येक यूनिट प्रमाण-पत्र में एक विभेदक संख्या, जितनी यूनिटों का यह प्रमाण-पत्र है उतनी संख्या और यूनिट धारक का नाम रहेगा।

XIII. यूनिट प्रमाण पत्र तैयार करने की विधि :

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा; यूनिट प्रमाण-पत्र उत्कीर्ण, या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। प्रत्येक हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिकी विधि से लाया गया होगा। जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह, मान्य नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाण-पत्र मान्य होगा और इस बात के होते हुए बाध्यकारी होगा कि इन्हें जारी होने के पहले, किसी व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर, करने का अधिकृत व्यक्ति नहीं रहा हो, किंतु इस रूप में तैयार किया गया यूनिट प्रमाणपत्र में यदि किसी अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है तो प्रमाणपत्र जारी होने के पहले, किसी व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकृत व्यक्ति नहीं रहा हो, किंतु इस रूप में तैयार किया गया यूनिट

प्रमाण पत्र में यदि किसी अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत है; ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को रद्द कर सकता है और किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर उस पर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी मान्य होंगे।

XIV. यूनिट प्रमाणपत्र के संबंध ट्रस्ट द्वारा मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति धारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम यूनिट प्रमाण पत्र जारी किया गया है, केवल वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारक के रूप में मान्य होगा और यह माना जाएगा कि इसका स्वत्वाधिकार या हित उसमें या उक्त यूनिट प्रमाणपत्र की यूनिटों में है जो उसके नाम है और ट्रस्ट उक्त यूनिट धारक को उसका एकमात्र स्वामी मानेगा और इसके विपरीत किसी नोटिस से या किसी ट्रस्ट के क्रियान्वयन की नोटिस से बंधा नहीं होगा या सिर्फ उन बातों को छोड़ कर जब कि इसमें स्पष्ट रूप से यह दिया गया हो हो या कार्यक्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा किसी यूनिट प्रमाणपत्र के स्वत्वाधिकार पर विपरीत प्रभाव डालने वाला आदेश हो या इस रूप में दर्शाई गई यूनिटें हो।

XV. जब प्रमाणपत्र फटे-फटे, विरूपित, लापता आदि है, यूनिट प्रमाणपत्रों का विनियम और प्रक्रिया :

यदि कोई प्रमाणपत्र फट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपनी विवेक के अनुसार स्वत्वधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। इसकी कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि फटे-फटे विरूपित प्रमाण-पत्रों की थी। यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाण पत्र जारी करेगा। कोई नया यूनिट प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि ट्रस्ट को —

(i) मूल प्रमाणपत्रों के फटे-फटे होने, टुकड़े होने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट होने के संतोषजनक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किए जाते;

(ii) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं किया जाता ;

(iii) यदि फट-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्रों को ट्रस्ट को प्रस्तुत किया जाता है और अभ्यर्पित किया जाता है; और

(iv) ट्रस्ट को क्षतिपूर्ति बन्धपत्र प्रस्तुत किया जाता है जैसा ट्रस्ट चाहता है। इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत ट्रस्ट सद्भावना के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने का उत्तर-दायित्व नहीं लेगा।

इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत कोई प्रमाण पत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेदक उसके द्वारा निगत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर 1/- रू० का भुगतान करे। साथ ही ट्रस्ट की राय में स्टाम्प ड्यूटी यदि कोई है, के लिए पर्याप्त धन राशि या अन्य खर्च या कर डाक पंजीकरण खर्च सहित उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के संबंध में देय हो, उसे भी जमा करेगा।

XVI. यूनिट धारकों का रजिस्टर:-

यूनिट धारकों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान होंगे।

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारकों का एक रजिस्टर रखा जाएगा और इस रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जायेंगी।

(क) यूनिट धारकों के नाम और पते :

(ख) प्रमाणपत्र की विभेदक संख्या और प्रत्येक उक्त व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या और

(ग) उक्त व्यक्ति को यूनिटों के, जो उनके नाम में है, धारक बनने की तिथि।

(2) (क) यदि यूनिट प्रमाणपत्र दो व्यक्तियों के नाम में पंजीकृत हैं तो यह समझा जाएगा कि उक्त व्यक्ति प्रमाणपत्र के संयुक्त धारक हैं और यूनिट धारकों के रजिस्टर, में प्रथम व्यक्ति द्वारा उक्त प्रमाणपत्र के संम्बद्ध में बकाया राशि की प्राप्ति की जाती है तो इसे ट्रस्ट द्वारा की गई चुनौती माना जाएगा।

(ख) जहां दो व्यक्ति जिनमें कोई भी नाबालिग नहीं है अपने पक्ष में एक यूनिट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करता है और आवेदन-पत्र में अनुरोध करता है कि दोनों में से किसी को भी यूनिटों के व्यवहार के लिए अनुमति दी जाए। ट्रस्ट को उक्त अनुरोध के संबद्ध में समुचित प्रविष्टियां इसकी बहियों में दर्ज कर लेनी चाहिए और ऐसी परिस्थिति में जब कोई यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, तब दोनों में से किसी एक धारक को उक्त प्रमाणपत्रों के यूनिटों का अधिकारी होना चाहिए और उनमें से किसी एक द्वारा दिया गया उन्मोचन (डिस्चार्ज) उन यूनिटों के संम्बध में बकाया राशि की प्राप्ति के अर्थ में ट्रस्ट द्वारा की गई चुकौती मानी जाएगी। बशर्ते कि उक्त प्रमाणपत्र द्वारा दर्शाई गई यूनिटों

द्वारा घोषित आय वितरण यूनिट धारक के रजिस्टर में नामित प्रथम व्यक्ति को भुगतान किया जाता है ।

(3) किसी यूनिट धारक द्वारा अपने नाम या पते में लाए गए परिवर्तन को ट्रस्ट की जानकारी में लायी जायेगी जो उक्त परिवर्तन से संतुष्ट होकर और अपेक्षित औपचारिकताओं का पालन कर तदनुसार रजिस्टर में परिवर्तन करेगा ।

(4) सिर्फ उस अवधि को छोड़ कर जबकि रजिस्टर बन्द रखती है तब उसमें निहित प्रावधानों के अनुसार, व्यवसाय के घंटे के दौरान रजिस्टर (ट्रस्ट द्वारा लगाए गए यथोचित नियंत्रण के अधीन) किंतु प्रत्येक व्यवसाय के दिन कम-से-कम दो घंटे निरीक्षण के लिए बिना किसी खर्च के यूनिट धारकों के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

(5) रजिस्टर उक्त अवधि के लिए बन्द रहेगी जैसा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाएगा । किंतु किसी भी वर्ष में यह 30 दिनों से अधिक दिनों के लिए बन्द नहीं रखी जाएगी । ट्रस्ट बन्द होने की सूचना उक्त समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा प्रकाशित करेगा जिस रूप में बोर्ड निर्देश देगा ।

XVII. यूनिट धारक द्वारा ट्रस्ट से भुगतान पाने की रसीद किसी भी यूनिट धारक द्वारा सर्टिफिकेट में अंकित यूनिटों के संबंध में उनके द्वारा पाई गई मुद्रा के लिए दी गई रसीद ट्रस्ट के लिए सही अदायगी मानी जाएगी ।

XVIII. यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालियापन :

(1) किसी यूनिट प्रमाणपत्र के संयुक्त धारकों में से किसी एक की मृत्यु होने के मामले में उत्तर-जीवी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ट्रस्ट की दृष्टि में यूनिट प्रमाण पत्रों में दर्शाई गई यूनिटों में हित या स्वत्वाधिकार है । बशर्ते कि इसमें अंतर्विष्ट कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जो किसी अन्य व्यक्ति के पास उक्त यूनिटों के संबंध में इस उत्तर-जीवी के विरुद्ध है ।

(2) किसी एकल धारक की मृत्यु स्थिति में नामिती ट्रस्ट द्वारा मान्य व्यक्ति होगा । जो यूनिटों के संबंद्ध में विनियमों के अन्तर्गत ट्रस्ट द्वारा देय राशि का हकदार होगा ।

(3) किसी एकल यूनिट धारक द्वारा मान्य नामिती की अनुपस्थिति में मृतक यूनिटें धारक का प्रशासक या कार्यपालक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग X के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का कोई धारक ही केवल ऐसा व्यक्ति होगा जो ट्रस्ट द्वारा माना जाएगा कि उसका यूनिटों में कोई अधिकार है ।

(4) किसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया होने के कारण किसी व्यक्ति को यूनिटों का स्वत्वाधिकारी होने पर तथा उसके अधिकारी होने के साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझेगा, मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों की पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान, दावेदार द्वारा दावा संम्बधी सभी औपचारिकताओं के अनुपालन करने पर ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ।

(5) 3 वर्षों की अवरूद्ध अवधि के दौरान यूनिट धारक की मृत्यु की स्थिति में, दावेदार को यह विकल्प होगा कि इस योजना में वे बने रहे यदि वे पात्रता खण्ड के अनुसार पात्र व्यक्ति है या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित पुनखरीद मूल्य पर पुनखरीद आय प्राप्त करेंगे ।

XIX. यूनिटों का सूचीबद्ध होना :

योजना के अन्तर्गत जारी की गई यूनिटों को 3 वर्षों की अवरूद्ध अवधि के बाद मान्यता प्राप्त बड़े शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किए जाएगे ।

XX. यूनिटों का हस्तान्तरण :

इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई यूनिटों का हस्तान्तरण बड़े शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के बाद किया जा सकता है । शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित शेयर अन्तरण फार्म का प्रयोग यूनिटों के अन्तरण के लिए किया जाना चाहिए । तीन साल की आरंभिक अवरूद्ध अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत जारी की गई यूनिटों को गिरवी नहीं रखी जा सकती ।

XXI. यूनिट धारकों द्वारा नामांकन :

1. एकल या दो यूनिट धारकों द्वारा संयुक्त रूप में धारित यूनिट धारक नामांकन करने या रद्द करने के, अधिकार का प्रयोग विनियमों में दी गई सीमा तक कर सकते है ।

XXII. निवेश की सीमाएं :

1. इस योजना की निधियों से किरी कम्पनी की प्रतिभूतियों में ट्रस्ट द्वारा उक्त कम्पनियों के बकाया और जारी की गई प्रतिभूतियों का 15% से अधिक निवेश नहीं किया जाएगा । बशर्ते कि पूंजी में उक्त निवेश

की समग्र राशि औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आरंभ में जारी की गई राशि के अन्तर्गत उक्त निधियों की कुल राशि का 5% से अधिक किसी समय नहीं हो।

2. उपखण्ड (1) के अन्तर्गत निर्धारित सीमाएं किसी कम्पनी के डिबेंचरों जमा राशियों और बांडों (सुरक्षित या असुरक्षित में) ट्रस्ट के निवेशों में लागू नहीं होगा।

XXIII. आय वितरण

योजना के अन्तर्गत प्राप्त आय को ध्यान में रखकर ट्रस्ट योजना के अन्तर्गत खर्चों की व्यवस्था करने के बाद यूनिट धारकों के लिए आय का वितरण करेगा।

यूनिट धारकों के लिए आय का वितरण यदि कोई है, प्रत्येक वर्ष 30 जून को योजना के वार्षिक लेखा की बन्दी के बाद यथाशीघ्र किया जायेगा।

ऐसे यूनिट धारक जिनका नाम यूनिट धारकों के रजिस्टर में ट्रस्ट द्वारा आय वितरण की घोषणा के पूर्व है, वे वितरण किए जाने वाले आय को प्राप्त करने और रखने के अधिकारी होंगे।

किन्तु ट्रस्ट के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह 3 वर्षों की अवरुद्ध अवधि के दौरान आय वितरण को घोषित न करे क्योंकि योजना का उद्देश्य है निवेश में वृद्धि लाना।

साथ-ही-साथ इसका आशय है अवरुद्ध अवधि के बाद यथोचित लाभांश प्रदान करना जो बैंकों द्वारा सबसे अधिक लंबी अवधि के लिए सावधि जमा पर दी जाने वाली दर के कम से कम बराबर हो।

XXIV. खातों का प्रकाशन

ट्रस्ट यथाशीघ्र जो प्रत्येक वर्ष के 30 जून के बाद की अवधि हो सकती है, बोर्ड द्वारा निश्चित की गयी विधि से लेखों को प्रकाशित करेगा जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि के दौरान योजना का कार्य प्रदर्शित किया जायेगा। ट्रस्ट किसी यूनिट धारक से लिखित रूप से प्राप्त अनुरोध पर प्रकाशित लेखे की एक प्रति उसे भेजेगा।

XXV. योजना में परिवर्धन और संशोधन

समय-समय पर बोर्ड योजना में कोई परिवर्तन/संशोधन कर सकता है जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

XXVI. योजना की समाप्ति :

यदि परिस्थिति ऐसी बनती है कि योजना ट्रस्ट धारकों के हित में न रहे तो यूनिट धारकों को पर्याप्त समय की सूचना देकर योजना समाप्त की जा सकती है। सभी यूनिट धारकों जिन्होंने इस योजना में हिस्सा लिया है, उन्हें उनके नाम जमा यूनिटों का अंतिम पुनःखरीद मूल्य जो उक्त प्रयोजन हेतु निश्चित किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। इस रूप में निकाला गया पुनर्खरीद अंतिम मूल्य पाने के अलावा, किसी प्रकार का अन्य लाभ जैस पुर्नखरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश में वृद्धि अनुवर्ती अवधि के लिए नहीं संचित होगी। पुर्नखरीद के लिए प्राप्त यूनिट प्रमाण पत्रों को रद्द करने के लिए रखा जाएगा।

XXVII. यूनिट धारकों के लिए योजना का बाध्यकार होना।

समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन इस योजना की शर्तें प्रत्येक यूनिट धारक पर बाध्यकारी होगी और प्रत्येक अन्य व्यक्ति जो उनके माध्यम से दावा करते हैं मानो स्पष्ट रूप से स्वीकार किये हैं कि वे इस रूप में उन पर बाध्यकारी होगा।

XXVIII. बिक्री की बन्दी या निलंबन

बिक्री योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री ट्रस्ट द्वारा योजना के आरम्भ के बाद किसी भी समय महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में 7 दिनों की सूचना देने के बाद इस योजना को निलंबित या समाप्त किया जा सकता है।

XXIX. उपलब्ध करायी जाने वाली योजना की प्रति :

सभी संशोधनों सहित योजना की एक प्रति ट्रस्ट के कार्यालय में निरीक्षण के लिए कार्यालय के कार्यकाल के दौरान 5/– रु० जमा करने पर उपलब्ध करायी जायेगी।

XXX. यूनिट धारकों के लिए लाभ :

सभी पूंजी प्रारक्षित राशि और अतिरिक्त राशि यदि कोई योजना की समाप्ति के समय उपलब्ध थी, के सम्बन्ध में योजना के अन्तर्गत प्रोदभूत सभी लाभों को केवल उन्ही यूनिट धारकों के बीच वितरण योग्य होगा जो इसकी बन्दी के समय यूनिटों के धारक थे।

XXXI. प्रावधानों के अर्थ लागाने का अधिकार :

यदि किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को योजना के प्रावधानों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा जो योजना की आधारभूत संरचना के विपरीत या किसी रूप में प्रतिकूल प्रभाव जानने वाला नहीं होगा और यह निर्णय अंतिम होगा।

XXXII. प्रावधानों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन :

ट्रस्ट के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के अवधि और सहज परिचालन के लिए योजना के किसी प्रावधान को शिथिल/परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं जिन मामलो मे किसी यूनिट धारक या यूनिट धारकों के वर्ग के लिए यह आवश्यक समझा जाएगा।

फार्म क

प्रतीक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत निगमित)

यूनिट योजना 1992 (यू०एस० 1992)

(खण्ड XII)

यूनिट प्रमाण पत्र सं० यूनिटों की सं०

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र में उल्लिखित व्यक्ति

यूनिटों के पंजीकृत धारक है/हैं । भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (63 का 52) के प्रावधानों, इसके अधीन, बनायी गयी विनियमावली और यूनिट योजना (यू एस 1992) के अधीन प्रत्येक का अंकित मूल्य दस रुपए है ।

नाम/नामावली

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट

तिथि :

सं० यू टी/डी बी डी एम/2044ए/एस पी डी 165/92-93 अस्थिगित आय यूनिट योजना 1990 के आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 और ओमनी यूनिट योजना के प्रावधानो के संशोधन, जिन्हे 7 अक्तूबर, 1992 को आयोजित कार्य, कारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किये गये हैं इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

अनुबंध

आस्थगित आय यूनिट योजना 1990 (डी आई यू एस-1990) के प्रावधानों का संशोधन

आस्थगित आय यूनिट योजना 1990 (डी आई यू एस-1990) के प्रावधान का "यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया होने पर खंड XVIII के उप खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

"किसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर तथा किसी व्यक्ति द्वारा यूनिट का स्वत्वाधिकारी बनने पर, अपने स्वत्वाधिकार का उक्त साक्ष्य जमा करने पर जिसे ट्रस्ट सही समझेगा, उसे यूनिटों के समभूल्य का भुगतान किया जाएगा और प्रत्येक पूरी की गयी तिमाही के लिए 3.75 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा किन्तु यदि कोई लाभांश प्राप्त हुआ है तो वास्तविक प्राप्त राशि उससे घटा दी जाएगी"

आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 (डी आई यू एस-1991) के प्रावधानों का संशोधन

आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 (डी आई यू एस-1991) के प्रावधान के अधीन "यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर" खण्ड XVII के उप खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :—

"किसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा यूनिटों के स्वत्वाधिकारी बनने पर अपने स्वत्वाधिकार के उक्त साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझेगा, दावे सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य, समभूल्य पर भुगतान किया जाएगा या उक्त धर पर जो ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा, दावेदार द्वारा आस्थगित विकल्प के अन्तर्गत मृत्यु होने की स्थिति में दावाकर्ता यूनिटों के समभूल्य के साथ साथ प्राप्त वास्तविक लाभांश यदि कोई हो घटाकर प्रत्येक पूरी की गयी तिमाही के लिए 3.75 प्रतिशत की दर से ब्याज पाने का हकदार होगा । वृद्धि मूलक विकल्प के अन्तर्गत मृत्यु दावा के निबटान के लिए पुर्नखरीद मूल्य योजना की बन्दी की तिथि से दो वर्षों के बाद निश्चित की जाएगी । किन्तु योजना की बन्दी की तिथि से दो वर्षों के अन्दर मृत्यु दावा के लिए निपटान आस्थगित विकल्प के अन्तर्गत होगा ।"

ओमनी यूनिट योजना 1991 के प्रावधानो का संशोधन

ओमनी यूनिट योजना 1991 के प्रावधानों का खण्ड IV का उप खण्ड (6) में "100 यूनिटों" के स्थान पर "200 यूनिटें" रखा जाए ।

सं० यू टी डीबीडीएम 2044ए/एस पी डी 185/92-93— पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1991 और पूंजी वृद्धि योजना 1992 के प्रावधानों के संशोधन जिन्हें 9 नवम्बर 1992 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

अनुबंध

पूंजी वृद्धि योजना 1991 के प्रावधानों का संशोधन

यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया होने पर सी जी यू एस-91 के प्रावधानों के खण्ड 25 के उप खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :—

"किसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा यूनिटों के स्वत्वाधिकारी बनने पर अपने स्वत्वाधिकार का उक्त साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझेगा, दावेदार द्वारा दावे संबंधी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद, मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों के पुर्नखरीद मूल्य पर भुगतान किया जाएगा जो ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाएगा ।"

उपखण्ड (1क) और (1ख) को, सी जी यू एस–91 के प्रावधानों के "बिक्री और पुर्नखरीद मूल्य" पाकर खण्ड 13 के उप खण्ड 1 के बाद रखा जाएगा ।

उप खण्ड (1क)

"बिक्री के बन्द होने की तिथि के एक वर्ष बाद पुर्नखरीद मूल्य ट्रस्ट घोषित करेगा इसके बाद अर्द्ध वार्षिकी आधार पर "

उप खण्ड (1ख)

"बिक्री की बन्दी की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के बाद यूनिटों की पुर्नखरीद आरम्भ की जाएगी और ट्रस्ट प्रत्येक माह की पहली तारीख को पुर्नखरीद मूल्य घोषित करेगा या शीघ्र जो आवश्यक होगा " ।

पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 के प्रावधानों का संशोधन

यूनिट धारकों की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर सी जी यू एस–92 के प्रावधानों का खण्ड 26 का उप खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :—

"किसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा यूनिटों के स्वत्वाधिकारी बनने पर अपने स्वत्वाधिकार का उक्त साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझेगा, दावेदार द्वारा दावे सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद, मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों के पुर्नखरीद मूल्य पर भुगतान किया जाएगा जो ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाएगा ।"

सी जी यू एस–92 के प्रावधानों के पुर्नखरीद मूल्य पर खण्ड 15 के उप खण्ड 1 के बाद उप खण्ड (1क) और (1ख) शामिल किए जाएंगे ।

उप खण्ड (1क)

"यूनिटों के आवंटन की तिथि से एक वर्ष बाद ट्रस्ट पुर्नखरीद मूल्य घोषित करेगा और उसके बाद अर्द्ध वार्षिकी आधार पर ।"

उप खण्ड (1ख)

"यूनिटों के आवंटन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के बाद, यूनिटों की पुर्नखरीद शुरू होगी और ट्रस्ट प्रत्येक माह की पहली तारीख को पुर्नखरीद मूल्य घोषित करेगा या शीघ्र जो आवश्यक होगा ।

BANK OF MAHARASHTRA

CENTRAL OFFICE

Pune-411 005, the 12th March 1993

No. AX-1/ST/OSR/2775/93.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement : (1) These regulations may be called the Bank of Maharashtra (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1993. (2) The amendment shall come into force on and from 28th January 1993.

3. The details of the Amendments are given in Annexure I.

P. A. CHITALE
Dy. Gen. Manager,
Personnel

ANNEXURE-I

Existing	*Amended*
Regulation-(20)(1).—Subject to Sub-Regulation (3) of Regulation 16, the Bank may terminate the services of any officer by giving him 3 months' notice in writing or by paying 3 months' emoluments in lieu thereof.	Regulation-20(1)(a).—Subject to sub-regulation 3 of regulation 16, where the Bank is satisfied that the performance of an officer is unsatisfactory or inadequate or there is a bona-fide suspicion about his integrity or his retention in the bank's service would be prejudicial to the interests of the Bank, and where it is not possible or expedient to proceed against him as per the disciplinary procedure, the Bank may terminate his services on giving him three months' notice or emoluments in lieu thereof in accordance with the guidelines issued by the Government from time to time. (b) Order of termination under this sub-regulation shall not be made unless such officer has been given a reasonable opportunity of making a representation to the Bank against the proposed order. (c) The decision to terminate the services of an officer employee under sub-regulation (a) above will be taken only by the Chairman & Managing Director. (d) The officer employee shall be entitled to appeal against any order passed under sub-regulation (a) above by preferring an appeal within 15 days to the Board of Directors of the Bank. If the appeal is allowed, the order under sub-regulation (a) shall stand cancelled.

Existing	*Amended*
	(e) Where an officer employee whose services have been terminated and who has been paid an amount of three months emoluments in lieu of notice and on appeal his termination is cancelled, the amount paid to him in lieu of notice shall be adjusted against the salary that he would have earned, had his services not been terminated and he shall continue in the Bank's employment on same terms and conditions as if the order of termination had not been passed at all.
	(f) An officer employee whose services are terminated under sub-regulation (a) above shall be paid Gratuity, Provident Fund including employer's contribution and all other dues that may be admissible to him as per rules notwithstanding the years of service rendered.
	(g) Nothing contained hereinabove will affect the Bank's right to retire an officer employee under Regulation 19(1).
Regulation-20(2).—An officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue the service or resign. The period of notice required shall be 3 months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these Regulations.	Regulation-20(2).—An officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue his service or resign. The period of notice required shall be 3 months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these regulation.
Provided that the competent authority may reduce the period of 3 months, or remit the requirement of notice.	Provided further that the competent authority may reduce the period of 3 months, or remit the requirement of notice.
Regulation-20(3)(a).—Notwithstanding anything to the contrary contained in the sub-Regulation (2) an officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave/discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval in writing of the Competent Authority and any notice of resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.	Regulation-20(3)(i).—An officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave/discontinue or resign from his service in the bank without the prior approval in writing of competent authority and any notice or resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.
(b) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him or where any chargesheet has been issued against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.	(ii) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings shall not be instituted against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.
(c) An officer under suspension on a charge of misconduct shall not be retired or permitted to retire on his reaching the date of compulsory retirement, but shall be retained in service until the enquiry into the charge is concluded and a final order is passed thereon.	(iii) The officer against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer will not receive any pay and/or allowance after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contributions to CPF.

Annexure-II

Guidelines issued by Government in terms of regulation 20(1)(e) of the Officers Service Regulations 1979/1982 vide Ministry of Finance (Banking Division) Letter No. F. 4/10/ 1/89-IR dated 10th April, 1992

The option to terminate the services of an officer shall be exercised only where —

(i) Decisions taken by the Officer employee in his capacity as an officer employee has put the bank to monetary loss though no misconduct as such can be proved against him.

(ii) The Officer employee for any reasons, has not been attending to his duties in the bank continuously for a period of 90 days after exhausting all leave due to him or after his request far leave of extension of leave has been refused in writing.

(iii) The officer employee employed on the basis of a particular expertise or skill or qualification, ceases to possess such an expertise or skill or qualification, for any reason whatsoever.

(iv) The officer employee, for three consecutive years in annual appraisal of his performance, has received ratings of less than average and despite the appraisal reports of the first two years having been communicated to him there has been no improvement or insufficient improvement in his performance.

(v) Situation is such that due to violence, insurgency or general indiscipline, insubordination, holding an enquiry against the officer employee is not possible.

(vi) The evidence to be relied upon to prove the misconduct gets destroyed or the principal witness(es) becomes unavailable for reasons beyond management's control.

(vii) There is such other cause as would reasonably lead the Bank to believe that retention of the officer employee would prejudice the Bank's interest.

The 23rd March 1993

No. AX-1/ST/OSR. 3847/93.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970),

the Board of Directors of BANK OF MAHARASHTRA in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Maharashtra Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976.

2. Short title and commencement : (i) These Regulations may be called the Bank of Maharashtra Officer Employees' (Conduct) (Amendment) Regulations, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. The details of the Amendments are given in Annexure I.

ANNEXURE I

In the Bank of Maharashtra Officer Employees' (Conduct) Regulations 1976;

(a) In the proviso to sub-regulation (2) of regulation 5, after the words "shall be reported to the competent authority" the words "within three months from the date of the receipt of offer of employment" shall be inserted;

(b) in regulation 14, in sub-regulation (1), in the Explanation, Note (2) shall be omitted;

(c) for the sub-regulation (2) of regulation 20. the following shall be substituted, namely :—

"(2) Every officer employee shall every year submit a return of his movable, immovable and valuable property including liquid assets like share, debentures as on 31st March of that year to the Bank before the 30th day of June of that year."

P. A. CHITALE
Dy. Gen. Manager,
Personnel

Footnote : (Nos. and dates of notifications of earlier amendments and date of their publication in the Gazette of India to be mentioned seriatem as footnote.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 071, the 23rd February 1993

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/4/4/92-93—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(i)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of non-payment of the prescribed fees, the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names :

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	3	4
1.	7875	Shri Das Ramratan, 10, Pymers Mead, Croxted Road, West Dulwict, London SE21, 8 NQ, U. K.	1-10-92
2.	8019	Shri Kamlani Abdul Karim, P. O. Box-88, Sharjah, U.A.E.	1-10-92
3.	8193	Shri Basu Ananta Kumar, 67, Buckingham Palace Road, SWIW, OQU, London.	1-10-92
4.	6711	Shri Ahmed Kaisar, Murjani International Ltd., 95, Mayhill Street, Saddle Brook, N. J. 07662-6501.	1-10-92
5.	14839	Shri Ray Tapan Kumar, Admn. Officer, United India Insurance Co. Ltd., Regional Office, 38B, Chowringhee Road, Calcutta-700 071.	1-10-92
6.	52438	Shri Singh Ravindra Pratap, C/o. M/s. Lodha & Co., 14, Government Place East, Calcutta-700 001.	1-10-92
7.	55529	Shri Bhattacharya Pradipta, C/o. M/s. Price Waterhouse & Co., B-3/1. Gillander House, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001.	1-10-92
8.	55741	Shri Sinha Debasish, C/o. M/s. Price Waterhouse & Co., B-3/1, Glander House, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001.	1-10-92

A. K. MAJUMDAR, Secretay

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 2nd March 1993

No. N-15/13/14/8/88-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34)of 1948), read with Regulation 95-A of the Emplyoees' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has fiexd the 1-2-93 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Eployees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

"Area comprising the revenue village of Pavali and Chatra-reddiapatti in Virudhunagar taluk of Kamarajar District".

S. GHOSH,
Jt. Insurance Commissioner.

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 15th March 1993

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/747.—WHEREAS, M/s Indotex Manufacturers Plot-332, GIDC Nr. New Water tank, Odhav, Ahmedabad-382415 (GJ/16663), have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

And, whereas, I B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without makig any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I. B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of th said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 Years from 1-3-1990 to 28-2-1993.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/755.—WHEREAS, M/s Hindustan Lever Ltd., Darwha Road, Lohara Road, Lohara, Yaratmal-445001, including Head Office, Central Office and Factory (MH/60039), have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (herinafter referred to as the said Act) :

And, whereas, I B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees, that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto. I. B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Nagpur from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-8-92 to 31-7-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits of the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt./763,—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said estabilshment are, without making any separate contribution or payment of Premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishments and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

REGION

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier of exemption	Period for which exemption further extended	C.P.F. C's File No.
1.	M/s. Instrumentation Ltd., Jhalawar Road, Kota-324005 Rajasthan.	RJ/1139	S-35014/403/82/PF.II/ dated 11-12-82	10-12-85	11-12-85 to 10-12-88 and 11-12-88 to 10-2-91	2/2/76/DLI
2.	M/s. Hindustan Zinc Ltd., 6, New Fatehpura Udaipur, Rajasthan.	RJ/1272	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I/dt. 21-12-89	18-3-92	19-3-92 to 18-3-95	2/120/78/DLI
3.	M/s. Rajasthan Co-operative Spinning Mills Ltd, Gulabpura 311021 Distt. Bhilwara, Rajasthan.	RJ/1775	S-35014/24/83/PF. II/ dated 5-3-83	4-3-86	5-3-86 to 4-3-89 and 5-3-89 to 4-3-92	2/823/82/DLI
4.	M/s. Metalliing equipment Company Pvt. Ltd., 5th, Chopasni Road, Jodhpur, 342003, Rajasthan.	RJ/1794	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I/dated 28-9-89	31-1-90	1-2-90 to 31-1-93	2/1666/87/ DLI
5.	M/s. Kiran Textiles, 17/C, Heavy Industrial Area, Jodhpur.	RJ/1871	Do. dated 28-9-89	31-1-90	1-2-90 to 31-1-93	2/1659/87/ DLI/
6.	M/s. Metal Fabricators, 38 Industrial Area behind New Power House Jodhpur Rajasthan.	RJ/3788	Do. dated 28-9-89	30-9-90	1-10-90 to 30-9-93	2/2522/90/DLI
7.	M/s. Sona Engineers Pvt. Ltd., 87, Chetak Marg Udaipur, Rajasthan.	RJ/4329	Do. dated 29-7-91	29-2-92	1-3-92 to 28-2-95	2/3697/91/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/771.—WHEREAS M/s Konark Pumps and Presses Pvt. Ltd., Regd., Office Plot No. 1 Saheed Nagar, Bhubaneswar 751007 Orissa (Code No. OR/3513) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And, whereas, I B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without makig any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto. I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of th said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Orissa from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-2-88 to 31-1-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interets of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishmnet do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the namonee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/779.—WHEREAS, M/s Sri Venkatesa Paper & Boards Ltd., Swaminathan Puram, Madathakulam Post-642113 (TN/11266) have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

And, whereas, I B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I, dated 26-2-90 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 11-12-91 to 10-12-94 upto and inclusive of the 10-12-94.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) sub-section (5A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable apportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Cenrtal Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/787.—WHEREAS, M/s Tea Estate India Ltd., Brooke House No. 1, Post Office Road, P.B. No. 13 Coonoor, 641103, (Code No. TN/1055), have applied for exemption under sub-Section (2B) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

And, whereas, I B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2B) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Exam/89/Pt.I and 9-9-91 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto. I, B. N. Som, hereby exempt he above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 29-2-92 to 31-1-95 upto and inclusive of the 31-1-95.

SCHEDULE-I

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as Compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Cenrtal Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/795.—WHEREAS M/s Suggvanesware Spinning Mills Pvt. Ltd., Balur Main Road, Mannampalli Salam-636 106 Code No. TN/21223 have applied for exemption under sub-Section 2(B) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (herinafter referred to as the said Act) :

And, whereas, I B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible undner the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Coimbatore from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-90 to 28-2-91.

SCHEDULE-I

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/159/DLI/Exemp/89/Pt.I/803.—WHEREAS, The Associated Cement Cos. Ltd. Chanda Cement Works, P.O. Cement Nagar, Distt. Chandrapur M.S. Code No. MH/11552) have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/229/83/PF-II/SS.II dated 28-7-86 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 24-12-89 to 23-12-92 upto and inclusive of the 23-12-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendnment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be concelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89|Pt.I|838.—WHEREAS, M|s R.V.R. & J.C.O.P. College of Engineering, Guntur, Chowdavaram-552019 (AP/16652) have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Exemp|89|Pt.I|2991-98 dated 17-10-92 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 1-2-93 to 31-1-96 upto and inclusive of the 31-1-96.

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendnment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/846.—WHEREAS, M/s Steel Industries Kerala Ltd., Azhikkal P.O. Cannanore-670009 (KR/10273) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commission Calicut from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-92 to 28-2-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if to the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/854.—WHEREAS, M/s Mandla Balagnat Kshetriya Gramin Bank, Head Office Dindore Road, Mandala (M.P.) MP/5167 have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Jabalpur from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-7-88 to 30-6-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspectoin charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as Compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/862.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Region—Bombay

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Fulford India Ltd., Oxford House, Appollo Bunder, Bombay-400039.	MH/11742	2/1959/DLI/Exem/89-Pt. I. dt. 10-12-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/1489/86 DLI.
2.	M/s. Makers Development Services Ltd., Maker Tower, 'F', Ist Floor, Cuffe Parade, Bombay-5.	MH/24576	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dt. 12-7-91	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/3641/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/870.—WHEREAS M/s. National Instruments Ltd., 1/1, Raja S.C. Mullick Road, Jadavpur, Calcutta-32, (WB/1752) have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act:—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Eem/89/Pt.I dated 21-3-90 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 29-1-1993 to 28-1-96 upto and inclusive of the 28-1-96.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM

Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/918.—WHEREAS M/s. Goetze (India) Ltd. Tej Building, Bahardurshah Zafar Marg, New Delhi-110002, DL/743 have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act ;—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I., dated 12-2-90 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 28-8-91 to 27-8-94 upto and inclusive of the 27-8-94.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section-(3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

The 23rd March 1993

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/878.—WHEREAS M/s. Hind Lamps Ltd., Shikohabad, Distt. Firozabad (UP), UP/105, have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/45/83-PF.II, dated 12-3-83 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the opration of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 12-3-86 to 28-2-93 upto and inclusive of the 28-2-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/887.—WHEREAS M/s. International Data Management, Safed Pool, Sir M. Vasanji Road, Bombay-400072 including branches (MH/21660), have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Bombay from the operation of the said Scheme for and upto a period of 6 years from 1-9-89 to 31-8-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of veiw.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/894.—WHEREAS, M/s Apollo Tyres Ltd., Village Limda, Ta: Waghodia, Distt. Baroda, (GJ/20425), have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Baroda from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-12-92 to 30-11-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/902.—WHEREAS M/s. Pragati Chemicals, 94-B, GIDC, Nandesari, Distt. Vadodara-391340 (GJ/145/43) have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89-Pt. dated 4-4-91 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 1-3-90 to 28-2-93 upto and inclusive of the 28-2-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if to the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of his exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/910.—WHEREAS, M/s Punjab Business & Supply Co., (P) Ltd. E-4, Industrial Area, Yamuna Nagar (P) Ltd., (HR/277), have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Haryana from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-6-92 to 31-5-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/926.—WHEREAS M/s Eastern Industrial Works, 18, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001 (WB/10352) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Calcutta from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-12-88 to 30-11-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as Compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/934.—WHEREAS, M/s Durgapur Steel Plant, Durgapur-713203, Distt. Burdwan, West Bengal (WB/9528), have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89-Pt.I, dated 19-11-89 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 28-2-92 to 27-2-95 upto and inclusive of the 27-2-95.

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N .SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI|Exemp|89|Pt.I|942.—WHEREAS, M/s Karnataka State Co.op. Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore-18 (Code No. KN/2774), have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89|Pt.I, dated 25-9-89 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 1-7-91 to 30-6-94 upto and inclusive of the 30-6-94.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp|88|Pt I|950.—WHEREAS, M/s Graphite India Ltd., Visvesvaraya Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore-48, (Code No. KN/5305. have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/450/82/PF.II, dated 31-1-86 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 12-2-89 to 11-2-92 and 12-2-92 to 11-2-95 upto and inclusive of the 11-2-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of dafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/573.—WHEREAS, M/s Deccan Ayurvedasuram Pharmacy Ltd., 17-1-204/8, Saidabad, Hyderabad-500659 (AP/1276) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :—

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-4-92 to 31-3-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if to the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,

Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay-400020, the 22nd March 1993

No. UT/DBDM/2044A/SPD59/92-93.—The Provision of the Rajlakshmi Unit Scheme 1992 (RUS-92) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 9th September 92 and amended in the Excutive Committee Meeting held on 7th October 92 are published herebelow.

RAJLAKSHMI UNIT SCHEME 1992

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the followig Unit Scheme.

Objective

The Scheme aims at meeting the social and economic needs of the women in the country through investment in the Scheme by any person on behalf of a girl child not exceeding 5 years of age which could be repurchased by the child on completion of lock in period. The amount invested in favour of the child is irrevocable in nature and can be claimed only by the child on completion of lock in period. The provisions hereafter explain the scheme in detail.

I. Short Title and Commencement :

(1) This Scheme shall be called the Rajlakshmi Unit Scheme 1992.

(2) It shall come into force on the 2nd day of October, 1992.

(3) Units will be on sale throughout the year save and except in the month of June when books are closed for purposes of accounts. Provided, that the Chairman or in his absence the Executive Trustee may suspend the sale of units under the scheme at any time after the commencement of the scheme by giving a week's notice in such newspapers or other media as may be decided.

II. Definitions :

In this Scheme, unless the context otherwise requires,

(a) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(c) "applicant" means an individual who is eligible to participate in the Scheme is not a minor and makes an application under Clause IV of the Scheme.

(d) "application" means the application referred to in Clause IV of the Scheme;

(e) "child" means a female child not exceeding the age of 5 years;

(f) "Government" means any State Government or even Central Government which makes an investment on behalf of a female child in this Scheme for the benefit of the child;

(g) "recognised stock exchange" means a stock exchange which is for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956):

(h) "regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(i) "unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital;

(j) "unitholder" used as an expression under the scheme shall mean for all practical purposes the girl child in whose favour the investment under the scheme has been made;

(k) All other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act;

III. Face value of each unit:

The face value of each unit shall be ten rupees with minimum investment of Rs. 1000/- and in multiples of ten units thereof. There is no maximum limit on investments.

IV. Application for units:

(1) Applications for units shall be made by any adult, a Company, a Body Corporate, Registered Society, an eligible Trust, Central/State Government or a Court appointed guardian desirous of participating in this Scheme in favour of the female child not exceeding five years of age on the date of application in the form prescribed by the Unit Trust of India.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman of the Trust.

(3) (i) The payment for the units applied for by the Government shall be made alongwith the applications by means of a pay order.

(ii) The payment for the Units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the applicaton in cash, cheque or draft. Cheques or drafts should be drawn on branches of Banks within the city where the Office/Collection Centre at which the application is tendered is situated.

(iii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust. If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the Trust within such time as may be deemed reasonable by the Trust. The amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the unitholder shall be issued such lower number of units as could be issued under the Scheme, the balance due to applicant shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iv) A unit certificate bearing the child's name will be sent by registered post recorded delivery with or without acknowledgment or ordinary post the address given in the application. The Trust will not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the unit certificate, so sent.

(v) Any Government making an investment under the scheme shall be responsible for the eligibility of participation by the child under the scheme and shall ensure that applications are properly filled in.

V. Right of Trust to accept or reject application

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject the application for issue of units under the Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of an individual to make an application under the Scheme shall be final.

VI. Form of Unit Certificate

Unit certificates shall be in the Form 'A' annexed hereto. Each Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of the child who alone is entitled to the units comprised in the certificate.

The rights to the units issued under the Scheme will vest only with the child in whose name the relevant Unit Certificate has been issued by the Trust and shall be held by the child in accordance with the terms of this Scheme. The applicant, at whose instance the units have been issued in favour of the child, will not have any right whatsoever to these units.

VII How the Scheme works

The Scheme envisages a minimum investment of Rs. 1000/- which can be invested by any adult, or person as mentioned hereinbefore in favour of a girl child who is not exceeding 5 years of age. Depending upon the age of the child while entering the scheme, the lock in period will be for a minimum of 16 years and the maturity amount will vary from Rs. 11,000/- to Rs. 21,000/-,as per the chart given below.

Entry Age	Minimum Amount	Lock in period	Maturity Amount Payable after completion of lock in period
Upto & Including 1	Rs. 1000	20	Rs. 21,000
Above 1 to 2	Rs. 1000	19	Rs. 18,000
Above 2 to 3	Rs. 1000	18	Rs. 15,000
Above 3 to 4	Rs. 1000	17	Rs. 13,000
Above 4 to 5	Rs. 1000	16	Rs. 11,000

There will be a special incentive for those female children who join the Scheme during the first three months-October, November and December, 1992. For those female children who fall in the lock in period of 19 and 20 years category, an incentive payment of Rs. 1000/- per every Rs. 1000/- of investment will be payable at the time of maturity. Those children falling in the other three categories (i.e. lock in period of 16,17 & 18 years) shall receive an incentive payment of Rs. 750/- per every 1000/- of investment, payable at the time of maturity.

VIII. Sale of Units:

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall, as soon as possible thereafter send the applicant an acknowledgement therefor. As soon as possible thereafter the Trust shall issue to the applicant one Unit Certificate representing the units issued in favour of the girl child.

IX. Repurchase of units:

(1) The Trust shall not repurchase units during the currency of the scheme. The child shall be entitled to repurchase the units after completion of lock in period.

(2) However in the event of the death of the child and on surrender to the Trust by the parent/legal representative of the relative unit certificate, the Trust shall on compliance with the formalities in connection with the recognition of claim, repurchase the units at such repurchase price as may be fixed by the Trust periodically, relating to the holding period of the unitholder.

(3) Payment for units repurchased by the Trust shall be made as early as possible after the acceptance date. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the parent/legal representative.

X. Restrictions on repurchase of units:

Notwithstanding anything contained in any provision of the scheme, the Trust shall not be under an obligation to repurchase units:

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period when the register of unit holders is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

Explanation:

For the purpose of this Scheme the term "working day" shall mean a day which has not been either;

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

(iii) The contract for repurchase in the event of death of the child or on maturity shall be deemed to have been concluded on the acceptance date, when an application for repurchase of units has been made and accepted by the Trust.

(iv) Payment for the units repurchased by the Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as may be indicated in the application. No interest shall, on any account be payable on the amount due and the cost of realisation of the cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the claimant/unitholder.

XI. Sale and Repurchase prices:

(1) The sale price of units during the period when units are sold shall be at par.

(2) In the event of a termination of the Scheme in the manner as specified in clause XXVII hereof the Trust shall determine the repurchase price by valuing the assets pertaining to the scheme as at the close of business on the date notified for termination reduced by the liabilities pertaining to the scheme and dividing them by the number of units outstanding and deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to realisation of investments by the Trust and other adjustments and the expenditure in connection with the closure and payment of the distribution to the unitholders of the assets in respect of the scheme. In such an event the repurchase price shall in addition to the par value bear the other distributable component of the asset per unit arrived at by the Trust in a manner satisfactory to its auditors and as the Board may approved.

XII. Publication of final repurchase price:

Upon termination of the scheme in the manner provided in clause XXVII hereof, the Trust shall as earsly as possible after determining the final repurchase price publish it in such manner as it may deem fit.

XIII. Valuation of assets pertaining to this Scheme:

(1) For the purposes of valuation of the assets under subclause (2) of Clause IX the assets shall be classified into: (a) cash (b) investments and (c) other assets.

(2) Investments shall be valued by taking:

A. (a) the closing prices on the stock exchange as on the working day on which the valuation is made of the securities held by the Trust pertaining to this schemes provided where security is quoted on more than one stock exchange, the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust.

(b) where any investment was not, during the relevant period, dealt in, or quoted on any recognised stock Exchange, such value as the Trust may in the circumstances consider to be the fair value of such investments; and

B. Adding thereto—

(a) in the case of interest earning deposits, interest accrued but not received

(b) in the case of Government Securities and debentures, interest accrued but not received, and

(c) in the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend and dividend declared but not received.

(3) Other assets shall be valued at their book value.

XIV. Manner of preparation of unit certificate:

The unit certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board of Trustees may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No unit certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears therein, may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Trust. Provided that should the unit certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the certificate, the Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The unit certificate so issued shall also be valid.

XV. Trusts not to be recognized regarding unit certificate

The person who is registered as the holder and in whose name a unit certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such unit certificate and the units which it represents; and the Trust may recognize such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any unit certificate or the units thereby represented.

XVI. Exchange of unit certificate and procedure when certificate is mutilated, defaced, lost etc.:

(1) Subject to the provisions of this Scheme, in case any unit certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new unit certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn out or defaced unit certificate. In case any unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, in its discretion, issue to the person entitled a new unit certificate in lieu thereof. No such new unit certificate shall be issued unless the Trust is:

(i) furnished with evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original unit certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) given the mutilated or worn out or defaced unit certificates; and

(iv) furnished with such indemnity as it may require.

(2) The Trust shall not incur any liability for issuing such certificate in good faith under the provisions of this clause.

XVII. Register of unitholders:

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders—

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register:

(a) the names and addresses of the unitholders;

(b) the distinctive number of the unit certificate and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any unitholder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that no less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any unitholder without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 60 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspapers as the Board may direct.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XVIII. Receipt by unitholder to discharge Trust:

The receipt of the unitholder for any moneys paid to him in respect of the units represented by the certificates shall be a good discharge to the Trust.

XIX. Nomination by unitholders:

No nomination shall be permitted under the scheme.

XX. Transfer of Units:

No transfer of units issued under this Scheme shall be permissible.

XXI. Death of the unitholder:

In the event of death of the unitholder, legal representative shall be the person/s recognised by the Trust as the person/s entitled to the amount payable by the Trust in respect of units under the regulations.

XXII. Investment Limits:—

(1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies. Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds and debentures and deposits of a company whether secured or not.

XXIII. Income Distribution:

There shall be no distribution of regular income under the scheme. The amount of Rs. 1000 invested in favour of the girl child who is atleast one year old becomes Rs. 21,000/- after a period of 20 years, i.e. the money grows 21 times in 20 years. The child after completion of lock in period will be entitled to avail of this cumulative amount. The trust may periodically declare Bonus which shall be payable on maturity.

XXIV Maturity under the Scheme.

(a) The child shall continue to participate in the Scheme till the child completes the lock in period.

(b) When the child completes lock in period, and surrenders to the Trust, the unit certificate issued to the child under the Scheme, the Trust shall repurchase all the units comprised in the certificate.

(c) The lock in period will be determined only on the basis of the declaration of the child's age made at the time of submitting the application.

(d) If no application for repurchase is made by the child when she completes the lock in period, the money will remain with the Trust and paid to the child without any interest thereon.

(e) If the application has been submitted during the months of October, November and December 1992, the child shall in addition to the repurchase proceeds of the units standing to her credit receive a sum of Rs. 1000/- per every Rs. 1000/- of initial investment made, being the incentive payment for those who join the scheme with a lock in period of 19 and 20 years and Rs. 750/- per every Rs. 1000/- for those with a lock in period of 16, 17, and 18 years. In all other cases the child will be entitled only to the repurchase proceeds as mentioned in the relevant clause.

XXV. Publication of Accounts

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as of that date. The Trust shall, on a request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts so published.

XXVI. Additions and Amendments to the Scheme:

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette.

XXVII. Termination of the Scheme:

The Scheme may if circumstances so prevail not being in the interest of the unitholders or the Trust be terminated with sufficient notice to the Government. All unitholders who have participated in the Scheme shall be paid the value of the units standing to their credit at the final repurchase price fixed for the purpose. Besides receiving the final repurchase price so

determined no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accure. The unit certificate received for repurchase shall be retained for cancellation.

XXVIII. Scheme to be binding on Unitholders :—

The terms of the scheme including any amendments, changes thereto from time to time should be binding on each unitholder and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding not withstanding anything contained in the provisions of the scheme.

XXIX. Benefits to the unitholders :

All benefits accruing under the scheme in respect of capital and reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available only to the unitholders who hold the units for the full term of the scheme till its closure.

XXX. Copy of Scheme to be made available :

A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application and payment of Rupees five.

XXXI. Power to construe provisions :

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions, Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and such decision shall be conclusive.

XXXII. Relaxation/variation/modification of provisions :

The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the scheme, relax, vary or modify any of the provisions of the scheme in case of any unitholder or class of unitholders upon such terms as may be deemed expedient.

EMBLEM

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963)

RAJLAKSHMI UNIT SCHEME 1992 (RUS 1992)
(CLAUSE VI)

UNIT CERTIFICATE NO. NO. OF UNITS

This is to certify that the person name in this Certificate is the Registered Holder of

Units, each of the face value of Rupees ten, subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Regulations framed thereunder and the Rajlakshmi unit scheme 1992 (RUS 1992)

Name :

for the Unit Trust of India

Date : CHAIRMAN TRUSTEE

No. UT/DBDM/2044A/SPD 61/92-93.—The Provisions of the Unit Scheme 1922 (US-92) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 7th October 92 are published herebelow.

UNIT SCHEME 1992

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Scheme;

Objective of the Scheme

The basic objective of the scheme is to provide an opportunity for the investors to participate and share the growth of the Corporate Securities Market through investment of atleast 50% of the funds collected under the scheme in high yielding equities. Long term capital appreciation would thus be the primary goal of the scheme and the emphasis will, therefore, be on sharing of growth through rights and bonuses rather than through distribution of high income by way of dividends. At the same time the intention would be to provide reasonable dividend after the lock-in period, equivalent to say, atleast the rate on longest term fixed deposits offered by the banks. The focus therefore will be on providing as high growth rate as possible subject to reasonable dividend constraint.

I. Short Title and commencement :—

(1) The scheme shall be called "Unit Schme 1992" (US 1992)

(2) The scheme will be a Semi-open ended scheme and shall come into force on the 2nd day of November, 1992.

(3) The offer of units under the scheme will be open for 22 days from 2nd November, 1992 to 23rd November, 1992 (both days inclusive). Provided that the Chairman or the Executive Trustee may suspend the offer of units under the scheme at any time before the expiry of the aforesaid period gy giving a week's notice in such newspaper as may be decided.

Further Sale wili be offered for limited intervals and will be decided by the board from time to time.

II. Definition :—In this scheme, unless the context otherwise requires—

(a) The Act "means The Unit Trust of India Act, 1963;"

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order accepted the same;

(c) "Date of allotment" shall be 1-02-93.

(d) "Eligible persons" under the scheme shall mean and include-only "Resident Adult individuals" either singly or with 2 other Individuals on "Joint/Either or Survior basis"

(e) "Listed" means the listing of units for the purpose of trading in Stock Exchanges which are for the time being recognised under Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(f) "Lock-in-period" shall mean a period of three years from the date of allotment of units under the scheme after which repurchases by the Trust shall commence.

(g) "number of units" to be issued means the aggregate on the number of units sold and outstanding;

(h) "recognised stock exchange" means a stock exchange which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(i) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Sectin 43 (1) of the Act;

(j) "Scheme" means the Unit Scheme 1992, as amended from time to time.

(k) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(h) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

III. Face Value of each Unit :—

The face value of each unit shall be ten rupees with a minimum investment of 500 units (i.e. Rs. 5000/-) and in multiples of 100 units thereafter. There will be no maximum limit for investment.

IV. Application for units :—

(1) The offer of units under the scheme shall be open to all those persons under the definition of eligible persons.

(2) Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

(3) Each applicant will be allotted 5000 units (Rs. 50,000/-) and thereafter allotment will be at the discretion of the Trust taking into account the overall subscription.

(4) The payment for the units applied for by an eligible person shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Cheques and drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated. If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the chequ is received by the Trust. If payment is made by draft the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft provided the application is received by the Trust within a reasonable time.

(5) A unit certificate will be sent by registered post with or without acknowledgement due to the address given by the applicant in the application form and the Trust will not incur any liability for the loss, damage, misdelivery, or non-delivery of the certificate, so sent.

V. Offer of Units :—

The offer of units under the Scheme shall be open for a period of 22 days commencing from 2nd November 1992, to 23rd November, 1992 (both days inclusive). The Trust reserves the right to close the offer before the stipulated date. Applications received after the close of business on 23rd November, 1992 and subsequently at any of the offices of the Trust shall be deemed invalid and rejected.

VI. Repurchase of units :—

(1) The Trust shall not repurchase before 1st February, 1996.

(2) The Trust shall during the currency of the scheme after 31st January, 1996 repurchase units at the repurchase price then prevailing on receipt by it of the unit certificate/s with the form on the reverse thereof duly filled in provided all the units comprised in the certificate/s are tendered for repurchase. No partial repurchase of units represented by the unit certificate/s shall be permitted. The Repurchase of units shall be at NAV based Repurchase price less the transaction cost, not exceeding 50% of the NAV.

(3) Payment for units repurchased by the Trust after deductions if any shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

VII. Restrictions on offer and repurchase of units:—

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme, the Trust shall not be under an obligation to offer or repurchase units—

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period when the register of unitholders is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

Explanation :—

For the purpose of this scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other states where the Trust has its offices; or (ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

VIII. Offer or repurchase to be as on the acceptance date :—

The offer and repurchase of units by the Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that date.

IX. Offer and repurchase prices :—

(1) The units shall be offered for sale at the face value of Rs. 10/- (Rupees ten only) each during 2nd November 1992 to 23rd November 1992.

(2) The price at which a unit will be repurchased by the Trust (hereinafter referred to as "the repurchase price") shall be determined by the Trust on the 1st February 1996 and thereafter on the 15th of every month or the next working day, if that happens to be a holiday and shall apply to repurhase in the succeeding month.

(3) The repurchase price shall be arrived at by dividing the value (determined as hereinafter indicated) as at the close of business on the working day on which the repurchase price is determined, of the assets pertaining to this scheme, reduced by liabilities pertaining to this scheme (not being contingent liabilities or liabilities in respect of the unit capital including reserves, if any) as at the close of business on the said working day, by the number of units in issue as at close of business on the said day, deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage, commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to the realisation of investments by the Trust.

(4) The repurchase price of a unit shall be arrived at on the basis of the material available with the Trust on the day on which the repurchase price is arrived at.

(5) Notwithstanding anything contained to the country in sub clauses (2), (3) and (4), when the Trust is satisfied that in the interest of the Trust, the unitholders and of the continuance and growth of the Scheme, it is necessary or expendient to do so, the Trust may determine the repurchase price at a rate which may not ncessarily be in accordance with the provisions of sub-clause (3) and any such determination shall be deemed to be in the interest of the Trust and the unitholders.

(6) Notwithstanding anything contained to the contrary in sub clause (2), the Trust may determine the repurchase price on any date other than the 15th day effective for such period as it may deem fit.

(7) In the event of a termination of the scheme in the manner as specified in Clause XXVI hereof the Trust shall determine the repurchase price by valuing the assets pertaining to the scheme as at the close of business on the date notified for termination reduced by the libilities pertaining to the scheme and dividing them by the number of units outstanding and deducting thereform such sum as in the opinion of the Trust is adequte to cover brokerage, commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to realisation of investments by the Trust and other adjustments and the distribution in the unitholders of the assets in respect of the scheme. In such an vent the repurchase price shall be in addition to the par value for the other distributable component of theasset per unit arrived by the Trust in a manner satisfactory to its auditors and as the Board may approve.

X. Publication of repurchase price/final repurchase price:—

(a) The Trust shall, as possible after the determination of the repurchase price, publish in such manner as it may deem fit, the repurchase price of units.

(b) Upon termination of the Scheme in the manner provided in clause XXVI, hereof the Trust shall as early as possible after determining the final repurchase price publish it in such manner as it may deem fit.

XI. Valuation of assets pertaining to this Scheme:—

(1) For the purpose of valuation of assets under sub-clause (2) of Clause IX, the assets shall be classified into (a) cash.

(b) investments, and (c) other assets.

(2) Investments shall be valued by taking A. (a) the closing prices on the stock exchange as on the working day on which the valuation is made of the securities held by the Trust pertaining to this scheme, provided where a security is quoted on more than one stock exchange the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust.

(b) Where any investment was not, during the relevant period, dealt in, or quoted on any recognised stock exchange, such value, as the Trust may, in the circumstances consider to be fair value such investment and

B. (a) In the case of interest earning deposits, interest accrued but not received.

(b) In the case of Government securities and debentures, interest accrued but not received, and

(c) In the case of performance shares and equity shares quoted ex-dividend, and dividend declared but not received.

(3) Other assets shall be valued at their book value.

XII. Form of unit certificate:—

Unit Certificate shall be in Form A annexed hereto. Each unit certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of the unitholder.

XIII. Manner of preparation of unit certificate :—

The Unit Certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons dully authorised by the Trust. Every signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No unit certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Trust. Provided that should the unit certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the certificate, the Trust may a method considered by it as most suitable, cancel the signatue of such a person appearing on the certificate unit have the signature of any other authorised to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XIV. Trust not to be recognised regarding unit certificates:—

The person who is registered as the holder and in whose name a unit certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unitholder and as having a right, title or interest in or to such unit certificate and the units which it represents; and theTrust may recognise such unitholder as the absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice of the execution of any trust or save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction affecting the title to any unit certificate or the units thereby represented.

XV. Exchange of Unit Certificate and procedure when the certificate is mutilated, defaced, lost, etc. :—

(1) In case any unit certificate shall be mutilated or worn or defaced, the Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new unit certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn or defaced unit certificate. In case any unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new certificate in lieu thereof no such new certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :—

(i) Furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement loss, theft or destruction of the original unit certificate.

(ii) Paid all expenses in connection with the investigation of the facts.

(iii) In case of mutilation or wearing out or defacement produced and surrendered to the Trust the mutilated or worn out or defaced unit certificate; and

(iv) furnished to the Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant for the unit certificate to pay a fee of Rs. 1/- per unit certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges may be payable in connection with the issue and despatch of such certificate.

XVI. Register of unitholders :—

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders :

(1) A register of unitholders shall be kept by the Trust at its Head Office and there shall be entered in the register :

(a) the name and addresses of the unitholders;

(b) the distinctive number of the unit certificate and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which person became the holder of the units in his name,

(2) (a) If a unit certificate stands registered in the name of two persons, such persons shall be deemed to hold the certificates jointly and a discharge by the person first named in the register of the unitholders shall, as regards receipt of amounts due in respect of such units, discharge the Trust in respect of such amounts.

(b) Where two individuals, none of them being a minor, apply for issue of a unit certificate in their favour and request in the application that either of them should be permitted to deal with the units, the Trust shall record in its books suitable entries to take note of such requests and when a unit certificate has been issued in such circumstances, then either of the holders shall be entitled to be with the units represented by such certificate, and a discharge by either of such persons shall, as regards receipt of amount due in respect of such units, discharge the Trust in respect of such amounts.

Provided that the income distribution declared in respect of the units represented by such certificate shall be paid to the person first named in the register of unitholders.

(3) any change of name or address on the part of any unitholder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(4) except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any unitholder without charge.

(5) The register will be closed at such times and for period as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 60 days in any one year; the Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspaper as the Board may direct.

XVII. Receipt by unitholder to discharge Trust :—

The receipt of the unitholder for any moneys paid to him in respect of the units represented by the certificate shall be a good discharge to the Trust.

XVIII. Death or bankruptcy of a unitholder :-

(1) In case of death of either of the joint holders of a unit certificate, the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the unit certificate. Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single holder, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units under the Regulations.

(3) In the absence of a valid nomination by a single unit holder, the executor or administrators of the deceased unitholder or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the unit.

(4) Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death or bankruptcy of a unit holder may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at the repurchase price ruling on the date on which all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event of the death of the unitholder during the lock-in period of 3 years, the claimant shall have the option either to continue in the scheme, if he/she is eligible as per the eligibility clause or shall get the repurchase proceeds at the repurchase price as may be decided by the Trust.

XIX. Listing of Units

Units issued under the scheme shall be listed at major recognized stock exchanges after the lock-in period of 3 years.

XX. Transfer of units :—

Units issued under the scheme shall be transferable on listing in the major stock exchanges. The share transfer form as provided by the stock exchanges should be used to effect the transfer of units.

The Units issued under the Scheme shall not be pledgeble during the initial lock-in period of 3 years.

XXI. Nomination by unitholders :—

(1) Unitholders holding units singly or two unitholders holding jointly may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the Regulations.

XXII. Investment limits :—

(1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any one company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies.

Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds, deposits and debentures of a company whether secured or not.

XXIII. Income distribution :—

The Trust shall having regard to the income received under the scheme make a distribution of income to the unitholders after providing for expenses under the scheme.

Income distribution to the unitholders if any shall be made as soon as may be after closing of the annual accounts of the scheme as on 30th of June each year.

Such of the unitholders whose name appears in the register of the unitholders as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the Trust shall be entitled to receive and retain the income so distributed.

The Trust however reserves the right not to declare income distribution during the lock-in period of three years as the objective of the scheme is aimed towards growth on investment.

At the same time the intention would be to provide reasonable dividend after the lock-in period, equivalent to atleast the rate offered on longest term fixed deposits by the banks.

XXIV. Publication of accounts :—

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board, pay showing the working of the scheme during the period ending on 30th June. The Trust shall, on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts so published.

XXV. Additions and amendments to scheme :—

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment thereof will be notified in the official Gazette.

XXVI. Termination of the Scheme :—

The Scheme may if circumstances so prevail not being in the interest of the unitholders of the Trust be terminated with sufficient notice to unitholders. All unitholders who have participated in the scheme shall be paid the value of the units standing to their credit at the final repurchase price fixed for the purpose. Besides receiving the final repurchase price so determined no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. The unit certificate received for repurchase shall be retained for cancellation.

XXVII. Scheme to be binding on unitholders :—

The terms of this scheme, including any amendments thereof from time to time, shall be binding on each unitholder and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding.

XXVIII. Suspension or closure of sales :—

Sale of units under this scheme may be suspended or closed by the Trust at any time after commencement of the scheme after giving a notice of seven days in important daily newspapers of its intention to do so.

XXIX. Copy of Scheme to be made available :—

A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the office of the Trust at all times during its business hours on payment of a sum of Rs. 5/-.

XXX. Benefits to the unitholders :—

All benefits accruing under the Scheme in respect of capital reserves and surpluses if any available at the time of the closure of the scheme shall be distributable only among the unitholders who hold the units at its closure.

XXXI. Power to construe provisions :—

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the scheme, Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provision of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be final and conclusive.

XXXII. Relaxation/Variation/Modification of provisions :—

The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and easy operation of the Scheme, relax, vary or modify any of the provisions of the scheme in case of any unitholder, or class of unitholders upon such conditions as may be deemed expedient.

FORM—A

—EMBLEM—

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963)

UNIT SCHEME 1992 (US—1992)

(Clause XII)

Unit Certificate No. ——————— No. of Units ———————

This is to certify that the person/s named in this Certificate is/ are the Registered Holder/s of ——————————

Units, each of the face value of Rupees Ten, subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the Regulations framed thereunder the Unit Scheme (US—1992).

Name/s

For UNIT TRUST OF INDIA

Date :———————

No. UT/DBDM/2044A/SPD 165/92-93.—The Amendments to the Provisions of the Deferred Income Unit Scheme 1990, Deferred Income Unit Scheme 1991 and Omni Unit Scheme approved by the Executive Committee in the Meeting held on 7th October 1992 are published herebelow.

ANNEXURE

Amendment to the Provisions of the Deferred Income Unit Scheme 1990 (*DIUS* 1990)

Sub Clause (4) of Clause XVII on "death or bankruptcy of a unitholder" of the provision of *Deferred Income Unit* Scheme 1990 (*DIUS*-1990) be substituted by the following :

"Any person becoming entitled to a Unit consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder, may, upon producing such evidence, as to his/her title, as the Trust shall consider sufficient, be paid the par value of the Units plus interest @ 3.75% per annum for every completed quarter reduced by the actual dividend received, if any".

Amendment to the Provisions of the Deferred Income Unit Scheme 1991 (*DIUS* 1991)

Sub Clause (4) of Clause XVII on "death or bankruptcy of a unitholder" of the provision of *Deferred Income Unit Scheme* 1991 (*DIUS*-1991) be substituted by the following :

"Any person becoming entitled to a Unit consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder, may, upon producing such evidence, as to his/her title, as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all Units to the credit of the deceased at par or at such rate as may be determined by the Trust after the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant. In the event of death under the Deferred Option, the claimant will be entitled to the par-value of the Units plus interest @ 3.75% per annum for every completed quarter reduced by the actual dividend received, if any. Under the Growth Option for settlement of death claims, repurchase price will be fixed after two years from the date of closure of the Scheme. However, for death claims within two years from the date of closure of the Scheme, the settlement will be as under the Deferred Option".

Amedment to the Provisions of Omni Unit Scheme—1991

In Sub clause (6) of Clause IV of the provisions of the Omni Unit Scheme, 1991 the words "100 units" will be substituted by "200 *units*".

No. UT/DBDM/2044A/SPD 185/92-93.—The Amendments to the Provisions of the Capital Growth Unit Scheme, 1991 and Capital Growth Unit Scheme, 1992 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 9th November, 1992 are published herebelow.

ANNEXURE

Amendment to the Provisions of Capital Growth Unit Scheme, 1991

Sub clause (3) of Clause 25 of the provisions of CGUS-91 on the Death or bankruptcy of the unitholder be substituted by the following :

"Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder, may, upon producing such evidence, as to his/her title, as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at the repurchase price fixed by the Trust periodically, after all the formalities in connection with claim have been complied with by the claimant."

Sub clause (1A) and (1B) shall be inserted after sub clause 1 of clause 13 on "Sale and Repurchase of Prices" of the provisions of CGUS-91.

Sub clause (1*A*)

"The Trust shall announce the repurchase price one year after the date of closure of sales and thereafter on half yearly basis."

Sub clause (1*B*)

"After a period of 3 years from the date of closure of sales, the repurchase of units shall commence and the Trust shall declare the repurchase price on the first of every month or as frequently as may be necessary."

Amendments to the Provisions of Capital Growth Unit Scheme, 1992

Sub clause (3) of Clause 26 of the provisions of CGUS-92 on the Death or bankruptcy of the unitholder be substituted by the following :

"Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder, may, upon producing such evidence, as to his/her title, as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at the repurchase price fixed by the Trust periodically, after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant."

Sub clause (1A) and (1B) shall be inserted after sub clause 1 of clause 15 on Repurchase Prices of the Provisions of CGUS-92.

Sub clause (1*A*)

"The Trust shall announce the repurchase price one year after the date of allotment of units and thereafter on a half yearly basis.".

Sub clause (1*B*)

"After a period of three years from the date of allotment of units the repurchase of units shall commence and the Trust shall declare a repurchase price on the first of every month or as frequently as may be necessary."

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1993